नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

इस अंक में...

5 ▸ सद्भावना शिविर और विशेष ग्रामसभा का आयोजन

7 ▸ गांधीजी के सत्य, अहिंसा और भाईचारे के आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है

8 ▸ प्रदेश में 7 माह में साढ़े ग्यारह करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन

9 ▸ लोक योजना अभियान : मध्यप्रदेश में सबकी योजना सबका विकास

12 ▸ गांधीजी की ग्राम स्वराज कल्पना को आकार देगा लोक योजना अभियान

17 ▸ ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विविध चरण

21 ▸ देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश की सभी पंचायतों में डिजिटल भुगतान

23 ▸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित रीजनल सरस मेला

25 ▸ 14वें वित्त आयोग, परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जारी

29 ▸ मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की पेडरा पंचायत को मिला बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार

32 ▸ हिंद स्वराज : गांधीजी का विचार सागर

33 ▸ आज भी प्रासंगिक हैं गांधीजी के सात सामाजिक पाप

34 ▸ ''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के निर्देश

39 ▸ पोर्टल पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा ई-भुगतान संपादन

40 ▸ 19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा'' आयोजन के निर्देश जारी

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

पंचायिका का गांधीजी पर केन्द्रित अक्टूबर अंक पढ़ने को मिला। इसमें जिस तरह की संदर्भ सामग्री का चयन किया है उसमें बापू के कई आयाम शामिल हैं। गांधीजी का ग्राम स्वराज, पंचायत राज, मध्यप्रदेश यात्राएं, स्वराज मूवमेंट, उनका प्रकृति प्रेम और लोक जीवन में गांधीजी- इन सभी विषयों को एक साथ शामिल कर आपके द्वारा गागर में सागर भर दिया गया है। निश्चित ही यह पाठकों के लिए उपयोगी है।

- रमेश प्रजापति
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती समारोह अवसर पर प्रकाशित अंक पढ़ा। इस अंक में गांधीजी के विचार, व्यक्तित्व और कृतित्व को एक साथ शामिल करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। बापू के इतने व्यापक फलक को एक पत्रिका में समाहित करना संभव नहीं है, पर प्रयास अच्छा है। इसके प्रकाशन के लिए साधुवाद।

- अनिता तिवारी
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अक्टूबर अंक पढ़ा। महात्मा गांधीजी पर केन्द्रित इस अंक में गांधीजी के विविध पक्षों को समाहित करते हुए प्रेरक प्रसंगों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें गांधीजी के वैचारिक और व्यावहारिक पक्ष को जानने-समझने का मौका मिला, जो प्रेरणादायी है। संग्रहणीय है और भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी। संदर्भ सामग्री के समुचित चयन के लिए संपादकीय मण्डल बधाई की पात्र है।

- अमित गोस्वामी
इंदौर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अक्टूबर अंक महात्मा गांधीजी पर केन्द्रित है। इसमें शामिल आलेख और जानकारी संग्रहणीय भी हैं और प्रेरक भी। पंचायिका टीम को इसके लिए बधाई के साथ भविष्य में भी इसी तरह के विशेष संग्रहणीय अंकों के प्रकाशन की अपेक्षा है।

- विशाल शर्मा
ग्वालियर (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

भारत गांवों में बसता है। गांवों के विकास से ही भारत का विकास संभव है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जब ग्रामीण जन, स्थानीय आवश्यकता, क्षमता और मेधा शामिल होगी तभी वास्तविक विकास आकार ले सकता है। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए महात्मा गांधीजी ने पंचायत राज व्यवस्था का सपना देखा था।

गांधीजी की ग्राम स्वराज कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीजी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन से सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अमल में लाया। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इसे स्वरूप दिया और पंचायत राज व्यवस्था ने गति पकड़ी। बीच में कुछ वर्षों के व्यवधान के बाद अब पंचायत राज व्यवस्था अपने वास्तविक स्वरूप में आकर ले रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती वर्ष में 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत लोक योजना अभियान चलाया जा रहा है। अपने हाथों अपने विकास का यह अच्छा अवसर है। दो अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले इस अभियान में आप सभी ग्रामीण जन मिलकर अपनी जरूरत के अनुसार अपने विकास की योजना बनाइए।

ग्राम सभा में सबके सामने विकास की सभी संभावनाओं को तलाशकर आपसी सहमति से अपने और अपने गांव के विकास में भागीदार होने का आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी।

पंचायती राज अमले के साथ विकास से संबंधित सभी विभागों के प्रतिनिधि आपके साथ हैं। मेरी अपेक्षा है कि शासन-प्रशासन के सहयोग और साथ से आप अपने गांवों को वह आकार दें जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता ने की थी और जिसका संकल्प इस सरकार ने उठाया है।

आशा है दो अक्टूबर को संपन्न हुई ग्रामसभा में आप सभी ने मिल-बैठकर प्रारम्भिक स्वरूप तैयार कर ही लिया होगा। निश्चित ही इसे कार्यान्वित करने का कार्य यथा समय कर दिया जायेगा।

अपने गांव के विकास और निर्माण के कार्य को आप पूरे मनोयोग और आत्मविश्वास के साथ करें। विकास योजना निर्माण का कार्य आपकी भागीदारी से पंचायतों द्वारा किया जाना है। आप सब मिलकर अपने विकास की धारा को अपने-अपने स्वरूप में आकार दीजिये। लोक योजना अभियान के इस विकास उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त की कलम से...

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

गांवों के समग्र विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण भारत के निर्माण में पंचायती राज व्यवस्था योजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की अहम कड़ी है।

पंचायतों के माध्यम से गांवों के विकास की योजना, ग्रामीणों द्वारा ही बनाई जाये इसके लिए 'सबकी योजना-सबका विकास', 'लोक योजना अभियान' चलाया जा रहा है।

2 अक्टूबर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक 'सबकी योजना-सबका विकास' के तहत चलाये जा रहे अभियान में आगामी वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के निर्माण में पंचायतीराज व्यवस्था अमले के साथ ग्रामीण जन भी सहभागी हैं। इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विकास के 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों को भी शामिल किया गया है। बेसलाइन सर्वे और सूचीबद्ध किये जाने के बाद संबंधित विभागों से समन्वय कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने का प्रावधान है।

आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पंचायिका का यह अंक विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पर केन्द्रित है। योजना निर्माण को लेकर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशों के अतिरिक्त योजना क्या है, क्यों है, इसमें कौन-कौन से विभाग शामिल हैं, इसमें विभिन्न चरण क्या हैं, प्रपत्र कौन-कौन से हैं, सभी कुछ इस अंक में प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश की सभी 22812 पंचायतों द्वारा डिजिटल सिञ्चेचर से भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है। इससे पंचायतें एक पूर्ण इकाई के रूप में वित्त व्यवहार करने में सक्षम हैं। पंचायतों के डिजिटल भुगतान की जानकारी को हमने नवाचार स्तम्भ में शामिल किया है। इसमें जानकारी के साथ भुगतान की प्रक्रिया को भी प्रकाशित किया गया है ताकि आवश्यकतानुरूप आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि डिजिटल भुगतान आप पंचायत के कम्प्यूटर द्वारा ही करें ताकि किसी भी तरह की समस्या की कोई संभावना निर्मित न हो। शेष स्तम्भ यथावत हैं।

उम्मीद है यह अंक आपको ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत गजट में विभागीय आदेश प्रकाशित किये गये हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

सद्भावना शिविर और विशेष ग्रामसभा का आयोजन

सामाजिक समरसता के अग्रदूत हैं महात्मा गांधी

महात्मा गांधीजी सामाजिक समरसता के अग्रदूत हैं। उन्होंने समाज में सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया था। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सभी समान हैं। एक सभ्य समाज में अस्पृश्यता जैसी बुराई के लिये कोई स्थान नहीं है। हम सबको इसके उन्मूलन के लिये सामूहिक प्रयास करना चाहिये। किसी को भी अपने मन में इस तरह के भाव नहीं आने देना चाहिये। हमें महात्मा गांधीजी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये। उनके दिखाये सत्य, अहिंसा और भाईचारे के मार्ग पर चलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। गांधीजी का दर्शन आज के समय में भी प्रासंगिक है। हम उनके सामाजिक समरसता के दर्शन को आत्मसात करें और समाज तथा देश की उन्नति और प्रगति में सहभागी बनें।

दो अक्टूबर 2019 महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहौलिया में आयोजित अस्पृश्यता निवारण सद्भावना शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि महात्मा गांधीजी सामाजिक समरसता के अग्रदूत हैं। उन्होंने समाज में सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया था। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सभी समान हैं। एक सभ्य समाज में अस्पृश्यता जैसी बुराई के लिये कोई स्थान नहीं है। हम सबको इसके उन्मूलन के लिये सामूहिक प्रयास करना चाहिये। किसी को भी अपने मन में इस तरह के भाव नहीं आने देना चाहिये।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमें महात्मा गांधीजी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये। उनके दिखाये सत्य, अहिंसा और भाईचारे के मार्ग पर चलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।

गांधीजी का दर्शन आज के समय में भी प्रासंगिक है। हम उनके सामाजिक समरसता के दर्शन को आत्मसात करें और समाज तथा देश की उन्नति और प्रगति में सहभागी बनें।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए सद्भावना शिविरों का आयोजन शासन द्वारा किया जाता है। इन शिविरों का उद्देश्य राष्ट्र की मुख्य धारा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संभावित प्रभावी सार्थक भूमिका को सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामीण

क्षेत्रों में अस्पृश्यता का कलंक व्यापक और प्रभावी रूप मे है। इन शिविरों के द्वारा ऐसी रूढ़ियों और व्याधियों के विरुद्ध स्वच्छ, निर्मल और सामाजिक वातावरण बनाने की सामूहिक पहल की जाती है। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. के.के. पाण्डेय द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा ग्रामीणजनों को अधिकारपूर्वक योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

ग्रामवासी स्वयं बनायें विकास की योजनाएँ

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास की योजना तैयार करने का अधिकार ग्राम सभा को है। ग्रामवासी ग्राम सभा के माध्यम से गांव की आवश्यकतानुसार विकास की कार्ययोजना बनाएं तथा ग्राम पंचायत के द्वारा इसका प्रभावी क्रियान्वयन करें।

उन्होंने ग्रामवासियों से आह्वान किया कि वे ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की निगरानी भी करें। इसके साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी करें।

इस अवसर पर पंचायत मंत्री श्री पटेल द्वारा आँगनवाड़ी केंद्र सिहौलिया क्रमांक-1 के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही पंचायत मंत्री ग्रामीणजनों के साथ सहभोज में सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सिहावल श्रीमान सिंह, जनपद अध्यक्ष रामपुर नैकिन के.डी. सिंह, उपाध्यक्ष सिहावल शारदा सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेन्द्र सिंह, सरपंच सिहौलिया राजबहोर द्विवेदी, कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक आर. एस. बेलवंशी, उपखण्ड अधिकारी सिहावल आर.के. सिन्हा, पूर्व जनपद अध्यक्ष अवधलाल सिंह, अंबिकेश पाण्डेय, परमजीत पाण्डेय, आनन्द मंगल सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. डी.के. द्विवेदी सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग सीधी ने किया।

● राजकुमार पटेल

रक्तदान करें और मानव होने का धर्म निभायें

दो अक्टूबर 2019 महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला चिकित्सालय सीधी में आयोजित रक्तदान शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने रक्तदान किया। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने नागरिकों विशेषकर युवाओं का आह्वान किया कि सभी आगे आयें और इस पुनीत अभियान में सहभागी बनें। हमें गांधीजी के जीवन से त्याग और समर्पण की भावना की सीख लेनी चाहिये। आपके रक्तदान से किसी जरूरतमंद को जीवन दान मिल सकता है। रक्तदान से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता है।

इस अवसर पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भी रक्तदान किया तथा लोगों से इस अभियान में सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक स्वस्थ परंपरा है, इसे हम सबको अपनाना चाहिये। इससे जुड़े अंधविश्वासों की जंजीरों को तोड़ना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में बिना किसी समस्या के रक्तदान कर सकता है। यह अभियान निरंतर चलेगा, लोग स्वेच्छा से आगे आयें और रक्तदान करें तथा अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिये प्रेरित करें।

गांधीजी के सत्य, अहिंसा और भाईचारे के आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने महात्मा गांधीजी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने जो सत्य, अहिंसा और भाईचारे के आदर्श समाज में स्थापित किए हैं, उन्हें हर व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है। इन आदर्शों पर चलकर ही समाज और देश का विकास संभव होगा। पंचायत मंत्री सीधी में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि डांडी यात्रा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें अन्य साथियों के साथ साबरमती से डांडी तक लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा 25 दिनों में करने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधीजी के आदर्शों को और करीब से महसूस किया। गांधीजी के त्याग और समर्पण की जो अनुभूति हुई वह शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। पंचायत मंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के माध्यम से महात्मा गांधीजी ने इस देश को एकजुट करते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया है। उनके आदर्श न केवल देशवासियों बल्कि पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हैं। पंचायत मंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे गांधीजी के जीवन दर्शन को आत्मसात करें। उनकी जीवनी को पढ़ें-समझें और जन-जन तक उनकी विचारधारा को पहुंचायें।

पंचायत मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधीजी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर पूरे वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को गांधीजी के आदर्शों के विषय में शिक्षित किया जायेगा जिससे गांधीजी के सपनों के भारत का निर्माण किया जा सकेगा। ऐसा भारत जिसमें

सामाजिक समसरता का भाव हो, गांव आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हों, सर्वधर्म समभाव हो, महिलायें आत्मनिर्भर हों। यह सब गांधीजी के आदर्शों पर चलकर ही संभव है।

महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जिससे गांधीजी के सपनों के भारत का निर्माण किया जा सकेगा। ऐसा भारत जिसमें सामाजिक समरसता का भाव हो, गांव आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हों, सर्वधर्म समभाव हो, महिलायें आत्मनिर्भर हों। यह सब गांधीजी के आदर्शों पर चलकर ही संभव है।

जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आमजनों की भागीदारी का श्रेय महात्मा गांधीजी को दिया जाता है। महात्मा गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधीजी के स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण से हमें सीखने की आवश्यकता है। लोगों को आगे आकर स्वच्छता के प्रति जन अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध चल रहे अभियान में सहभागी बनने की अपील की है।

गांधीजी की विचारों पर संगोष्ठी का आयोजन

इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में विचारकों ने महात्मा गांधीजी के जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गांधीजी के आदर्श सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं ने गांधीजी के आदर्शों का अनुसरण किया है। महात्मा गांधीजी के सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता आदि आदर्शों को कोई भी व्यक्ति यदि आत्मसात कर ले तो उसका जीवन सफल हो जायेगा।

प्रदेश में 7 माह में साढ़े ग्यारह करोड़

मानव दिवस रोज़गार सृजन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (मनरेगा) ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में वरदान सिद्ध हुई है। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में गत अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2019 तक साढ़े ग्यारह करोड़ मानव दिवस रोज़गार का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य की 57 प्रतिशत उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में स्थानीय लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मशीनों के उपयोग को कड़ाई से रोका गया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्य तेजी से संचालित कराये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 3 लाख 10 हजार 176 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। इनमें 71.54 प्रतिशत कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की गतिविधियों पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष मात्र 48.16 प्रतिशत कार्य कराये गये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि मनरेगा की मंशानुरूप रोज़गार की गतिविधियों में महिला श्रमिकों की 33 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान है। मध्यप्रदेश ने इस प्रावधान से अधिक 38 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोज़गार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवारों को 100 दिवस रोज़गार मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में कुल आवंटित बजट का 69 प्रतिशत मजदूरी पर तथा मात्र 31 प्रतिशत मटेरियल पर खर्च किया गया है, जो एक रिकार्ड है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ने मशीनों के उपयोग के लिये किसी भी तरह की छूट नहीं चाही है।

● अनिल वशिष्ठ

मजबूत गाँव ही बना सकते हैं मजबूत मध्यप्रदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर पंच-सरपंच, सचिवों और पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री पटेल ने कहा है कि मजबूत गाँव ही मजबूत मध्यप्रदेश बना सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया है हम विचार करें कि पिछले छह दशकों की विकास यात्रा में ग्रामीण मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी कमियाँ रह गई थीं। उन्हें तत्काल दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की सुनियोजित प्लानिंग करें।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विकास के कामों के लिए ग्राम, जनपद और जिला पंचायतें सक्षम हैं। गाँवों के विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में ऐसी कोई अड़चन नहीं है, जो दूर नहीं की जा सकती। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जो अधिकार आपको मिले हैं, उनका जनहित में भरपूर उपयोग करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन सेवाएँ देंगे पशु चिकित्सक

पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सक अब सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देंगे।

श्री यादव ने कहा कि सर्वाधिक दुधारू एवं खेती के उपयोग में आने वाले पशुओं का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव में इन पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अधिकतर चिकित्सक अपनी सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकों पर दो-तीन अन्य चिकित्सालयों का प्रभार होने के कारण वे अपनी संतोषप्रद सेवाएँ नहीं दे पा रहे हैं।

पशुपालन मंत्री श्री यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों द्वारा सप्ताह में दो दिन अनिवार्य सेवाएँ देना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। यह व्यवस्था संचालनालय तथा संभागीय कार्यालयों में पदस्थ पशु-चिकित्सकों और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों पर भी लागू होगी।

लोक योजना अभियान

मध्यप्रदेश में सबकी योजना सबका विकास

यह वर्ष गांधीजी की 150वीं जयंती समारोह वर्ष है। गांधीजी के ग्राम स्वराज की कल्पना और ग्रामीण विकास के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक लोक योजना अभियान चलाया जा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को अपनी पंचायत की विकास योजना बनाने का संवैधानिक दायित्व प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में सबकी योजना सबका विकास, लोक योजना अभियान के तहत पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की समय सीमा अनुसार तैयारियां की गयी।

लोक योजना अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले और ग्रामीण विकास से संबद्ध सभी विभागों के विकासात्मक कार्यों और गतिविधियों को शामिल करते हुए विकास योजना तैयार की जायेगी।

यह योजना पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा व आमजन के साथ मिलकर सहभागी प्रक्रिया से बनाई जा रही है। योजना निर्माण की इस प्रक्रिया में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के प्रतिनिधियों और योजनाओं का समावेश होगा, वही पंचायत स्तर पर आम जन का नेतृत्व बढ़ेगा और सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है जिसमें आम जन भागीदारीपूर्ण तरीके से विकास की दिशा में कार्य करने में अपने आपको समर्थ पाएं।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश श्रीमती गौरी सिंह द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश अनुसार 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 तक भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सबकी योजना, सबका विकास के तहत प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों का सर्वे तथा रैंकिंग की जाकर पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों के समन्वय से वर्ष 2020 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कार्य सम्पन्न करने के लिए जिला कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से समन्वय के लिए श्री आई.एस. ठाकुर संयुक्त संचालक आरजीएसए, श्री प्रफुल्ल जोशी, राज्य कार्यक्रम समन्वयक तथा श्री वी.के. त्रिपाठी उप संचालक आईटी को सहायक नोडल अधिकारी पंचायत राज संचालनालय को नामांकित किया गया है।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को अपनी पंचायत की विकास योजना बनाने का संवैधानिक दायित्व प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में सबकी योजना सबका विकास, लोक योजना अभियान के तहत पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की समय सीमा अनुसार तैयारियां की गयी।

गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए जीपीडीपी

प्रशिक्षण कौन देगा

मध्यप्रदेश में इस अभियान के तहत किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण के लिए एसआईआरडी जबलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसआईआरडी जबलपुर द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त फेसिलिटेटर तथा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के नियोजन दल पंचायत पदाधिकारी, कर्मचारी अमले तथा एसएचजी-पीआरआई कन्वर्जेन्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण भारत सरकार तथा एनआईआरडी हैदराबाद द्वारा विकसित मॉड्यूल तथा टूल किट अनुसार है।

अभियान पोर्टल

लोक चेतना अभियान की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिये भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पोर्टल www.gpdp.nic.in बनाया गया है। इस पोर्टल पर अभियान के पहले, अभियान के दौरान तथा बाद में गतिविधियों की जानकारी की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्रों में की जायेगी।

हर ग्राम पंचायत में फेसिलिटेटर

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिये फेसिलिटेटर की नियुक्ति की जायेगी। फेसीलेटर्स की नियुक्ति म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिलों में ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति में से की जा सकती है। जिन जिलों में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक स्रोत व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं अथवा सक्रिय नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्य करने वाले सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति, ग्राम रोजगार सहायक या अन्य योग्य कर्मचारी का चयन जिला परियोजना प्रबंधन म.प्र. राज्य आजीविका मिशन के साथ समन्वय कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा। चयन उपरान्त फेसीलेटर्स की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

फेसीलेटर्स के द्वारा किये जाने वाले कार्य

फेसीलेटर्स द्वारा मिशन अंत्योदय के निर्धारित प्रपत्र अनुसार ग्राम पंचायत का विभिन्न मापदण्डों के तहत सर्वे एवं रैंकिंग का कार्य किया जायेगा और इसका ग्रामसभा में सत्यापन तथा अनुमोदन कराया जावेगा।

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए विशेष ग्राम सभा को सहयोग करना।
- ग्राम सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- पोर्टल पर ग्राम सभा आयोजन की रिपोर्ट अपलोड करना।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की रणनीति

ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अधोसंरचना, मानव विकास

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिये फेसीलिटेटर की नियुक्ति की जायेगी। फेसीलेटर्स की नियुक्ति म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिलों में ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति में से की जा सकती है। जिन जिलों में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं अथवा सक्रिय नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्य करने वाले सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति, ग्राम रोजगार सहायक या अन्य योग्य कर्मचारी का चयन जिला परियोजना प्रबंधन म.प्र. राज्य आजीविका मिशन के साथ समन्वय कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा।

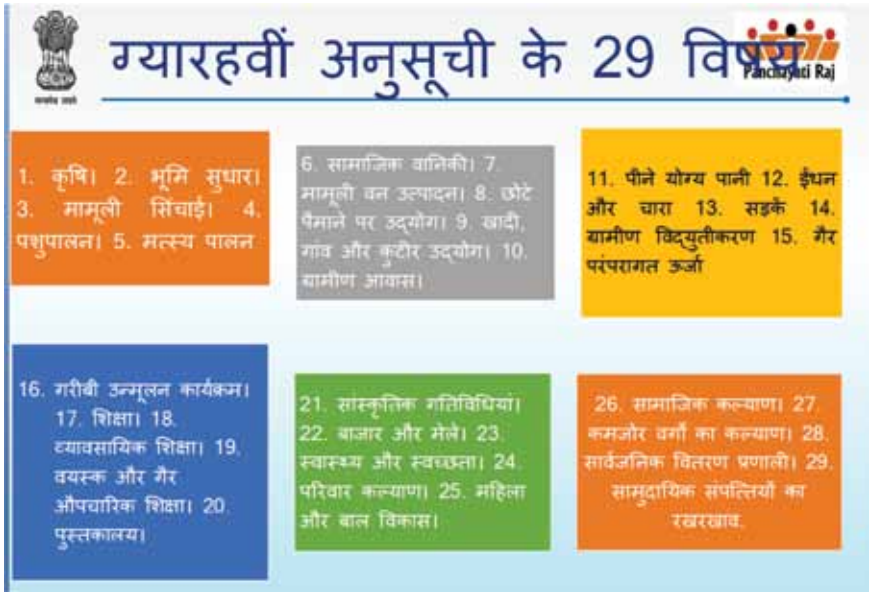

और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायतों की 100 की स्केल पर रैंकिंग के लिये श्री अजय शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.ए.वाय. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य आजीविका मिशन द्वारा मिशन अंत्योदय के मापदण्डों के आधार पर सभी 22812 ग्राम पंचायतों का सर्वे एवं रैंकिंग कार्य अभियान नियमित समयावधि में पूर्ण किया जाना है, सर्वे के लिए फेसीलेटर्स की नियुक्ति, फेसीलेटर्स, टास्कफोर्स, पीआरआई, एसएचजी कन्वर्जेन्स का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के बाद समस्त ग्राम पंचायतों का सर्वे, गरीबी उन्मूलन प्लान का निर्धारण, फेसीलेटर्स रिपोर्ट निर्धारण, अपलोडिंग डाटा एकत्रीकरण तथा मिशन अन्त्योदय एप में समस्त जानकारियां अपलोड करने की व्यवस्था की जायेगी।

आजीविका मिशन के द्वारा पीआरआई-एसएचजी पार्टनरशिप तथा जनसहभागिता से 2 अक्टूबर, 2018 की ग्राम सभा के सर्वे तथा अन्य लाइन विभाग द्वारा किये गये मेपिंग का ग्राम सभा में अनुमोदन करवाया गया।

अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए समन्वय का कार्य भी किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2019 तक दो चरणों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है।

11वीं अनुसूची अनुसार पंचायत को सौंपे गये 29 विषयों से संबंधित लाइन विभागों के विकासखण्ड स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर के मैदानी अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

सबकी योजना सबका विकास

गांधीजी की ग्राम स्वराज कल्पना को आकार देगा लोक योजना अभियान

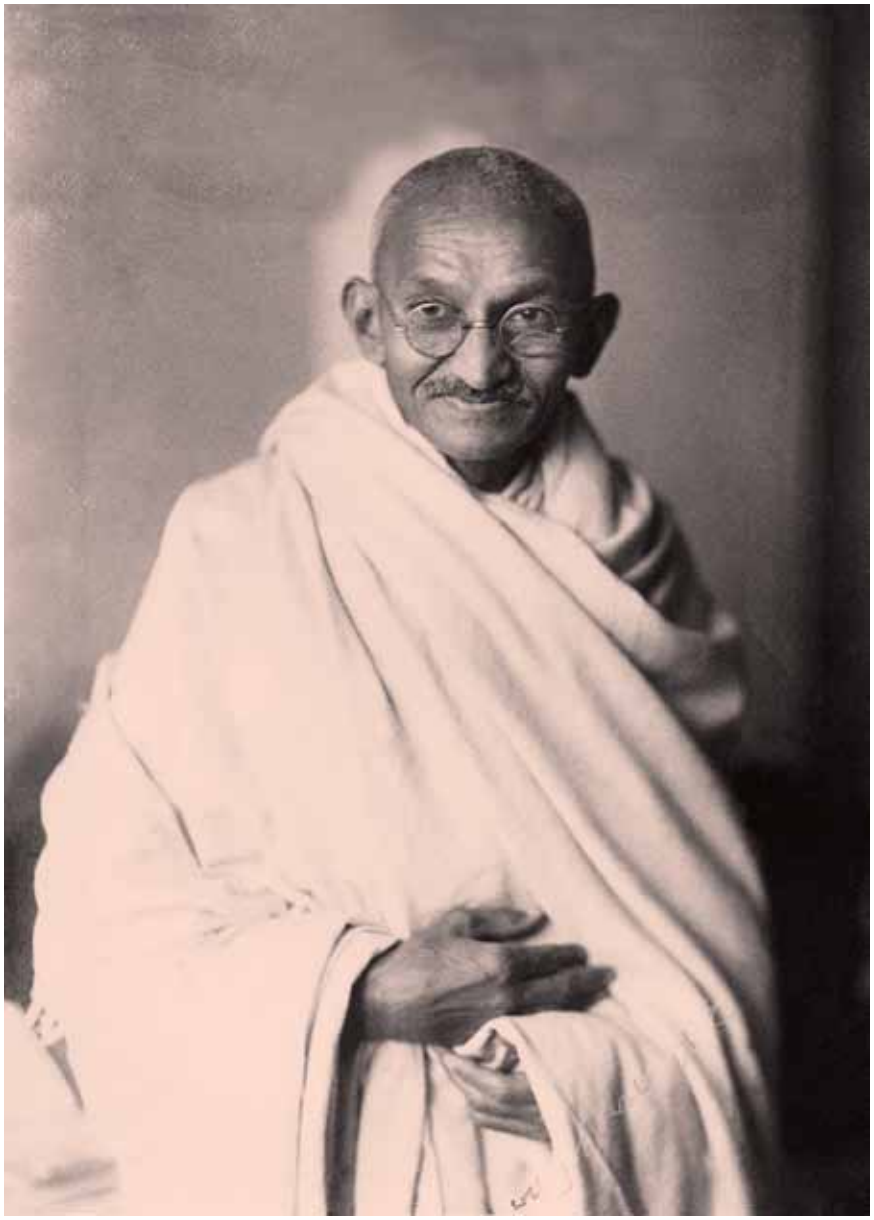

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायत राज व्यवस्था का स्वप्न देखा था। पंचायत से उनकी अपेक्षा थी कि वे बच्चों को शिक्षा, गांव की सफाई, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, अस्पृश्यों की स्थिति और दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। गांधीजी का कहना था कि पंचायतों के साथ सभी गांव वाले मिलजुलकर अपने गांव के विकास और व्यवस्था में सहयोग करें। गांधीजी के इसी विचार और स्वप्न को आकार देते हुए स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अमल में लाया। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा सबसे पहले मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवसथा का क्रियान्वयन किया गया।

प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और गांधीजी की कल्पना अनुरूप 'सबकी योजना सबका विकास' लोक योजना अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामसभा के म ाध्यम से पंचायत राज व्यवस्था अमला और ग्रामीण मिलजुलकर 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर रहे हैं। यह विकास योजना संविधान की 11वीं अनुसची में शामिल 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों की योजनाओं को समाहित कर बनायी जा रही है।

मध्यप्रदेश में 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत बनने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह निर्देश पंचायिका के इसी अंक में प्रकाशित हैं। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष समारोह अवसर पर विकास योजना का नीतिगत और व्यापक स्वरूप में बनाया जाना गांधीजी की कल्पना और विचारों को धरातल पर उतारने का एक प्रयास है।

किसी भी क्षेत्र, प्रांत अथवा देश का सम्पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसमें स्थानीय व्यक्ति शामिल हों। क्षेत्र की आवश्यकता, क्षमता और विशेषता के आधार पर विकास होगा तभी सबका विकास आकार ले सकता है। इसीलिए गांव के विकास और ग्रामीणों के उत्थान के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्य सौंपा गया है।

पंचायतों द्वारा यह कार्य सबकी भागीदारी से व्यापक स्तर पर किया जाना है। इस योजना के निर्माण में पंचायती राज व्यवस्था अमले के साथ ग्रामीणजनों की भागीदारी भी रहेगी जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए संबंधित प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी स्वरूप में क्रियान्वित करने में पंचायतों की इस अभियान के तहत महती भूमिका है।

क्या है लोक योजना अभियान

लोक योजना अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कार्य को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। यह अभियान 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 तक चलेगा। इस अभियान में वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए व्यवस्थित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जा रही है तथा पंचायतें, ग्रामीण जन, विकास के लिए चिन्हित 29 विषयों से सम्बद्ध प्रतिनिधि मिलकर विकास योजना को आकार देंगे।

लोक योजना अभियान में भूमिकाएं और दायित्व

पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय अधिकारियों सहित राज्य विभाग मिलकर 29 विषयों से जुड़े सभी 16 लाइन मंत्रालयों के सुविधाकर्ता और शीर्ष के कार्यकर्ता लोक योजना अभियान में सहभागी होंगे। इस अभियान की सफलता के लिए उनकी भूमिका और दायित्व इस प्रकार हैं -

केंद्रीय मंत्रालय

केन्द्र स्तर पर लोक योजना अभियान के आरंभ और निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका:

- इस अभियान के प्रभावी आरंभ और निगरानी के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के साथ पत्र-व्यवहार करना।
- प्लान प्लास, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, पीआरआईएसॉफ्ट, जियो-टैगिंग को प्री-पॉपुलेट करना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल के माध्यम से नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर), सुविधाकर्ताओं इत्यादि की नियुक्ति कराना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- ग्राम सभा बैठकों के सुचारू संचालन के लिए आदेश जारी करना।

राज्य विभाग

राज्य स्तर पर पंचायत राज विभाग द्वारा लोक योजना अभियान का समन्वय किया जायेगा। पंचायत राज विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यों को क्रियान्वित कर अभियान के उद्देश्यों को पूर्ण किया जायेगा।

पंचायत राज विभाग के दायित्व

- सशक्त समिति का गठन करना।
- राज्य स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करना।
- राज्य स्तर पर अनुकूल माहौल तैयार करना।
- जिला और ब्लॉक स्तरों पर

लोक योजना अभियान के उद्देश्य

- पंचायत राज व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों और आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित स्व-सहायता समूह की महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों में वर्ष 2019-20 में हुई प्रगति का साक्ष्य आधारित निर्धारण और 2020-21 के प्रस्ताव।
- जन सूचना अभियान - ग्राम पंचायत कार्यालय में और ग्राम संवाद एप पर सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों, फिटनेस आदि के विषय में जन सामान्य के लिए पूर्ण जानकारियां।
- 11वीं अनुसूची के सभी 29 क्षेत्रों के शीर्ष कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की वास्तविक उपस्थिति और प्रस्तुतिकरण के साथ ग्राम सभा की व्यवस्थित बैठकों का 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 तक आयोजन।
- व्यवहारिक और सर्वांगीण ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए प्लान प्लस का सुदृढ़ीकरण।

संसाधन, पैकेज और निधियों का प्रवाह, समन्वय व्यवस्थाओं, कार्य में प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहायता के लिए सहायक प्रणालियों की स्थापना करना।

- प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन।
- कार्यान्वयन व्यवस्था।
- जवाबदेही प्रणालियां।

नोडल अधिकारी

लोक योजना अभियान के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाएगी, जिनमें पहले राज्य स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। संबंधित राज्यों की राज्य सरकार में पंचायती राज विभाग नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। दूसरे स्तर का नोडल अधिकारी जिला स्तर पर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक सतर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

- नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत विकास योजना की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
- सभी स्तरों पर अंतरविभागीय अभिसरण व समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
- ग्राम पंचायत आयोजना और सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) को सहायता प्रदान करेंगे।
- इस अभियान से पहले, इसके दौरान और इसके समापन के पश्चात रिपोर्टें प्रस्तुत करने के साथ मॉनिटरिंग करेंगे।

सुविधाकर्ता

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की तैयारी में सुविधाकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की तैयारी में समस्त ग्राम स्तरीय समुदायों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शामिल किया जाना जरूरी है। सुविधाकर्ता को पंचायत स्तर पर समुदायों के साथ सहयोग करना है। तथा सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ भी कार्य करना है।

सुविधाकर्ता की भूमिका और दायित्व

- एमए मोबाइल एप की सहायता से मिशन अंत्योदय (एमए) के अंतर्गत सर्वेक्षण कराना।
- भागीदार मंत्रालयों तथा विभागों के शीर्ष कर्मचारियों के साथ समन्वय करना।
- निश्चित तिथि को ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन में सहायता करना।
- ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विकलांगों जैसे कमजोर वर्गों सहित समुदाय को एकत्रित कर शामिल करना।
- ग्राम सभा के आयोजन के विषय में रिपोर्ट को पोर्टल पर प्रस्तुत करना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में ग्रामसभा की सहायता करना।
- प्लान प्लस पोर्टल पर अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना को अपलोड करना।

शीर्ष के कार्यकर्ता

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों से नियुक्त किए जाने वाले शीर्ष कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

लोक योजना अभियान में शीर्ष कार्यकर्ता के दायित्व

- संबंधित विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और उन आंकड़ों का अद्यतनीकरण करना।
- प्रस्तावित क्रियाकलापों की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष में वितरित निधियों का ब्यौरा दर्शाना, इन आंकड़ों को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

11वीं अनुसूची में परिभाषित 29 विषय

1. कृषि
2. भूमि सुधार
3. लघु सिंचाई
4. पशुपालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी
7. लघु वन उत्पाद
8. लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेयजल
12. ईंधन और चारा
13. सड़कें
14. ग्रामीण विद्युतीकरण
15. गैर-परंपरागत ऊर्जा
16. निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा
18. व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण
27. कमजोर वर्गों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव

- ग्राम सभा में विभाग के क्रियाकलापों का संक्षिप्त व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करना।
- शीर्ष कार्यकर्ता ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रारूप को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विकास संगोष्ठी में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव देंगे।

केंद्रीय स्तर पर अभियान की तैयारी

पंचायती राज मंत्रालय, क्रियाकलापों के विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध तरीके से लोक योजना अभियान आरंभ करेगा :

- मंत्रालय से सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को सूचना-पत्र।
- प्लान प्लस, ईएफएमएस, पीएफएमएस, पीआरआईएसॉफ्ट, जियो-टैगिंग को सक्रिय करना।
- नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर) की नियुक्ति।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति।
- स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की तैयारी।
- सुविधाकर्ताओं तथा सभी स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना।
- ग्राम सभा बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना।
- ग्राम सभा-वार कैलेंडर अपलोड करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों को जन सूचना बोर्ड में प्रदर्शित करना।
- ग्राम सभा बैठकों के लिए तैनाती आदेश जारी करना।

राज्य स्तर पर अभियान की तैयारी

राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग, लोक योजना अभियान का समन्वय कर रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से नीचे दर्शाये गए क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति।
- सुविधाकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की तैयारी।
- सुविधाकर्ताओं और सभी स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना।
- ग्राम सभा बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना।

स्टेक होल्डरों का क्षमता विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सभी संगत स्टेक-होल्डरों को शामिल करना जरूरी है। इनकी भागीदारी और सुझावों के आधार पर विकास योजना तैयार करने से सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। पंचायत स्तर पर जो स्टेक-होल्डर होंगे और उनके प्रभावी योगदान के लिए उनकी क्षमताओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

लोक योजना अभियान में शामिल हैं स्टेक होल्डर

- ग्राम सभा के घटक।
- पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के पदाधिकारी।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी।
- जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता।
- राज्य सरकार के पदाधिकारी।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदाधिकारी।
- नागरिक समाज के प्रतिनिधि।
- अन्य स्टेक-होल्डर (जैसे कि संबंधित विभाग, तालमेल विभाग, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) इत्यादि)।
- ग्राम सभा वार कैलेंडर अपलोड करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों को जन सूचना बोर्ड में प्रदर्शित करना।
- ग्राम सभा की बैठकों के लिए तैनाती आदेश जारी करना।
- ग्राम सभा की बैठकों के जियो-टैग किए हुए विजुअल अपलोड करना।
- प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अनुमोदित योजना को प्रकाशित करना।

अभियान की रिपोर्टिंग और प्रगति

कोई भी राष्ट्र-व्यापी अभियान तभी सफल हो सकते हैं जब उनके बीच प्रभावी संचार हो। अतः सभी ओर से सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए वर्ष 2018 में पोर्टल (www.gpdp.nic.in) शुरू किया है। इस अभियान से पहले, इसके दौरान और इसके समापन के पश्चात विभिन्न क्रियाकलापों को राज्यों द्वारा इस पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग फॉर्मेटों में जानकारी प्रदान की जायेगी।

जन योजना अभियान 2019-20 : मुख्य बिन्दु

- ग्राम पंचायत का बेसलाइन सर्वेक्षण (मिशन अंत्योदय)।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सुविधाकर्ता की नियुक्ति।
- ग्राम सभा के आयोजन के लिए ग्राम सभावार कैलेण्डर को अंतिम रूप देना।
- 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के नियुक्त शीर्ष कार्यकर्ताओं को निर्दिष्ट तिथि पर ग्राम सभा बैठकों में प्रस्तुतिकरण के लिए प्रतिनियुक्ति करना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड का प्रदर्शन और लोक योजना अभियान पोर्टल में जियो टैग फोटोग्राफ को अपलोड करना।
- ग्राम सभा बैठक में जियो टैग फोटोग्राफ अपलोडिंग का काम प्रगति पर है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।
- प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अनुमोदित योजना का प्रकाशन।

लोक योजना अभियान 2019 के लिए क्रियाकलाप समय सीमा।

क्र. स.	क्रियाकलाप	समय सीमा
1.	सुविधाकर्ता प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत	30 अगस्त, 2019
2.	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर) एवं सभी नोडल अधिकारियों द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण	05 सितम्बर, 2019
3.	ग्राम सभा बैठकों की समय सीमा अपलोड करना	10 सितम्बर, 2019
4.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति	10 सितम्बर, 2019
5.	सुविधाकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा करना	16 सितम्बर, 2019
6.	ग्राम सभा बैठकों के लिए संबंधित विभागों के शीर्ष कर्मचारियों की नियुक्ति	17 सितम्बर, 2019
7.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड का प्रदर्शन एवं पोर्टल पर इसके जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ अपलोड करना।	18 सितम्बर, 2019
8.	ग्राम सभा की बैठकों के जियो-टैग किए गए दृश्यों को अपलोड करना	ग्राम सभा की बैठक के तुरंत पश्चात
9.	प्लान प्लस अनुप्रयोग पर स्वीकृत योजना का प्रकाशन	31 दिसम्बर, 2019

● **प्रस्तुति : विजय देशमुख**

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विविध चरण

किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग मिल-जुलकर विकास की रूपरेखा तैयार करें। विकास से आशय सिर्फ भौतिक विकास न होकर मानव विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, निपुणता और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना इसके मुख्य अवयव होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। इसमें स्थानीय लोग मिलकर अपने ग्राम व पंचायत की योजना बनाते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे मध्यप्रदेश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां तथा भोगोलिक स्थिति अत्यंत भिन्न हैं, इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पर 'ग्राम सभा' तथा आदिवासी क्षेत्रों में 'पेसा क्षेत्रों' को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर पंचायतें स्थानीय स्व शासन इकाइयों की भांति कार्य कर रही हैं। ग्रामीण अंचलों की स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं और शासकीय कार्यो के लिए यह संस्थाएं 'आपकी सरकार आपके द्वार' की तर्ज पर विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करवा रही हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 18 महत्वपूर्ण विभागों के कार्य पंचायतों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं जिसमें 29 प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं आती हैं। भारत सरकार द्वारा जारी 'सबकी योजना-सबका विकास' जन आन्दोलन ने हमें एक अवसर प्रदान किया जिसमें प्रदेश की समस्त पंचायतों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपने विकास की विस्तृत कार्ययोजना निर्माण की।

आइए हम सबकी योजना-सबका विकास' कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानें।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

ग्राम पंचायत विकास योजना पूरे भारत में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली अपनी योजना है जिसमें पंचायतें अपने क्षेत्र के 'सामाजिक न्याय और विकास' हेतु दूरगामी कार्ययोजना का निर्माण करती हैं। यह योजनाएं सभी स्टेकहोल्डर्स की सहभागिता से बनाई जाती हैं और इसीलिए लोगों की आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक तर्कसंगत योजना का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं कि पंचायत के स्तर पर तीन स्थानीय समितियां होती हैं, वहीं ग्राम सभा के स्तर पर दो स्थाई समिति होती हैं। दोनों ही स्तरों पर स्थाई समिति का एक अति आवश्यक कार्य 'ग्राम विकास नियोजन' को करना होता है तथा इसे लोगों के मध्य रखना और इसे ग्राम विकास समिति को प्रस्तुत करना होता है। इस बार के दिशानिर्देशों में सरकार द्वारा यह आवश्यक किया गया है कि पंचायतें इसे अनिवार्य रूप से बनायें और प्रस्तुत करें। इसके निम्न कारण हैं:-

- स्थानीय स्तर पर बनी योजनाओं से ही 'स्थानीय आवश्यकता' व स्थानीय समाधानों को मिलाया जा सकता है।
- सहभागितापूर्ण योजना के निर्माण से पंचायतों और स्थानीय लोगों के मध्य विश्वास का माहौल बनता है।
- भिन्न समूहों की भिन्न आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उसे समाधानों से जोड़ना आसान हो जाता है।
- पंचायत को भिन्न-भिन्न स्रोतों से मिलने वाले वित्त का युक्तिकरण संभव हो पाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया लोगों को एक 'विज़न' देती है कि वे अपने क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? और उस विजन को प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे मिलकर आगे बढ़ना होगा? पंचायतों के लक्ष्यों में स्पष्टता आती है और उन्हें हासिल करने के लिए 'कार्य योजना' का निर्माण होता है। 'सबकी

योजना-सबका विकास' कार्यक्रम के अंतर्गत आपको ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए निम्न चरणों से होकर गुजरना होता है:-

चरण 1 : मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण

देखिये, योजना तभी बन सकती है जब लक्ष्य पता हो। लक्ष्य तभी पता लगते हैं जब पता हो कि हमें जाना कहां है! और यह तभी पता लग सकता जब पता हो कि हम वर्तमान में खड़े कहां है? पंचायतों और ग्रामों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मिशन अन्त्योदय अंतर्गत 146 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक पंचायत और ग्राम के लिए यह आंकड़ा उपलब्ध है। आप भी इसे वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। यह सर्वेक्षण योजना निर्माण के लिए प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। इसमें ग्राम स्तर की समस्याओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें (i) गंभीर रूप से महत्वपूर्ण; (ii) बहुत जरूरी; और (iii) वांछनीय। एक बार यह ज्ञात होने पर कि पंचायतों के लिए क्या महत्वपूर्ण है योजना निर्माण करना आसान हो जाता है। यह सर्वेक्षण फेसिलिटेटर द्वारा किया जाता है। इस हेतु फेसिलिटेटर का चयन जिला तथा विकासखंड स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण के लिये https://missionantyodaya.in/ma2019/loginpage2019.html वेबसाइट पर जाकर सर्वेक्षण को अपलोड करने का कार्य किया जाता है।

चरण 2 : प्रत्येक पंचायत के लिए फेसिलिटेटर की नियुक्ति

इस बार के ग्राम पंचायत योजना अभियान में प्रत्येक पंचायत हेतु एक सहजकर्ता (फेसिलिटेटर) की नियुक्ति की गयी है। यह सहजकर्ता पंचायतों में मिशन अन्त्योदय सर्वे क्षण करने का कार्य करेगा। सर्वेक्षण से निकल कर आए गैप्स को ग्राम सभा में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। इस बार के योजना निर्माण में विभागों को अपना प्रस्तुतिकरण देना है इस हेतु एक प्रपत्र नियत किया गया है। सहजकर्ता विभागों से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करेगा।

फेसिलिटेटर के कार्य

- सर्वेक्षण करना।
- विशेष ग्राम सभा आहूत करवाना।
- सर्वेक्षण से निकल कर आई कमियों का विश्लेषण कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- मुख्य विभागों से समन्वय कर उनके प्रस्तुतिकरण में मदद करना।
- ग्राम सभा के दौरान अपनी रिपोर्ट www.gpdp.nic.in पर अपलोड करना।
- ग्राम सभा का जियो-टेग फोटो अपलोड करना।

चरण 3 : प्रशिक्षण

फेसिलिटेटर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली GPPFT दलों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक विकासखंड से 4-5 मास्टर ट्रेनर्स को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। यह मास्टर ट्रेनर, पंचायत स्तर के फेसिलिटेटर को प्रशिक्षण देंगे।

चरण 4 : वातावरण निर्माण गतिविधियां

सामाजिक गतिशीलता हेतु वातावरण निर्माण की जरूरत है, इस हेतु पूरे ग्राम में डोंडी की जाना चाहिए। ग्रामवासियों को ग्राम सभा में आने के लिए पत्र भी दिए जा सकते हैं। दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स और कई तरह की प्रचार-प्रसार सामग्री उपयोग में लायी जा सकती है। नुक्कड़ नाटक, रैली व अन्य जागरूकता कार्यक्रम किये जा सकते हैं। कुल-मिलाकर योजना निर्माण में सभी का सहयोग होना चाहिए और हर एक को लगना चाहिए कि इस योजना निर्माण में मेरा भी सहयोग है।

चरण 5 : ग्राम पंचायत स्तर पर योजना व सहयोग दल (GPPFT) का गठन

पंचायतों के सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास योजना निर्माण के लिए प्राथमिक दल का गठन किया जाता है। इस दल में से वर्गीकृत करके भिन्न-भिन्न वार्ड योजना दल या ग्राम विकास योजना सहयोग दल का गठन किया जाता है।

प्रत्येक ग्राम पर यह दल विषय वार अलग-अलग क्षेत्रों पर चर्चा करता है जैसे-

- शिक्षा व साक्षरता दल
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल दल
- कृषि एवं आजीविका दल
- सामाजिक सुरक्षा दल
- अधोसंरचना व विविध कार्य

उपरोक्त सभी दल वातावरण निर्माण से लेकर योजना निर्माण तक पंचायत की सभी गतिविधियों में सहयोग करते हैं।

चरण 6 : प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण व परिस्थिति विश्लेषण

पंचायतों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व आजीविका जैसे मुद्दों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अब यह आंकड़े होते क्या हैं। प्राथमिक आंकड़े वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण किये जाने से मिलते हैं जैसे PRA, ट्रांसेक्ट वाक, समूह चर्चा इत्यादि, वहीं द्वितीयक आंकड़े जैसे किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े जैसे CENSUS, SECC, Department Data इत्यादि। इनके आधार पर पंचायत की सामाजिक, आर्थिक व मानव विकास की स्थिति पता लगती है जैसे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर, हर मौसम में क्षेत्र का मुख्य मार्गों से जुड़ाव, युवाओं में पढ़ाई का स्तर व रोज़गार की स्थिति, बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति इत्यादि। इसी आधार पर ग्राम पंचायत की विकास स्थिति-रिपोर्ट बनायी जाती है।

चरण 7 : पंचायत के विजन का निर्माण

परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर पंचायतें व उनके ग्राम अपने-अपने विजन तथा लक्ष्य का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से अलग होती है और इसमें ग्राम, पंचायत और

क्षेत्र को अगले 5-10 वर्षों में कहां ले जाना है इस पर फोकस होता है तथा यह पंचायत के लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज होता है। देखिये, यदि किसी पंचायत में सभी सुविधायें हों, सेवाएं पूर्ण रूप से मिल रही हों तथा गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना हो तो क्या वह पंचायत योजना नहीं बनाएगी। बिलकुल बनाएगी और बल्कि दूरगामी दृष्टिकोण के आधार पर बनाएगी यही विजन दृष्टिकोण कार्य करता है और पंचायतों को दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह विजन क्षेत्र के सभी लोगों को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है। इसमें ग्रामों की मुख्य समस्याओं, आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें समाधान करने और पाने के विभिन्न विकल्पों पर समुदाय द्वारा आपसी चर्चा की जाती है जिसमें समुदाय आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां तय करता है। यदि ग्रामों में अधिकांश बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हैं तो भी यह निवासियों की सामान्य आकांक्षाओं को सतह पर लाने और उन्हें हासिल करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करता है।

चरण 8 : पंचायत के संसाधनों का आकलन

ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे योजना निर्धारण के समय राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों के विकास की कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, वर्तमान में कई योजनाओं का पैसा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, श्रमिकों का मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में आता है। कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। जैसे- प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को प्राप्त हो रही है।

चरण 9 : कार्य योजना निर्माण

इस बार की कार्ययोजना पिछले वर्षों की तुलना में भिन्न है, इस बार एक ओर जहाँ सहभागिता पर विशेष ज़ोर दिया गया है वहीं विभागों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक योजनाओं की जानकारी और पात्रता के बारे में भी ज़ोर दिया जा रहा है। इस वर्ष आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित

स्वयं सहायता समूहों और उनके ग्राम संगठनों की विशेष भूमिका अपेक्षित है। 'गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना' उन्हीं समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाना है। इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में विशेष ग्राम सभा आहूत की गयी है जिसमें मॉडल प्रारूप का ध्यान रखा गया है। ग्राम विकास नियोजन के बारे में जन-जागरूकता के कार्यक्रम किये गए हैं कई पंचायतों ने ग्राम विकास समिति की ओर से ग्रामीणों को ग्राम सभा में आने हेतु आमंत्रण भी भेजे हैं ऐसी पंचायतें बधाई की पात्र हैं जो आगे बढ़कर इसे सफल करती हैं।

ग्राम में विकास के मुद्दों (परिस्थिति विश्लेषण) पर विस्तृत चर्चा के बाद के ग्राम पंचायत के संसाधन (रिसोर्स एन्वेलप) को देखते हुए गतिविधियों का प्राथमिकीकरण किया गया है। क्षेत्रवार गतिविधियों को लेते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गयी है इसमें उपलब्ध वित्तीय संसाधन और समय-सीमा को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। योजना निर्माण करते समय गरीबों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम समूहों के क्षेत्रों वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। गतिविधियों की संभावित लागत को लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा योजना और क्षेत्रकों के नाम लिखे जाएं। जिन गतिविधियों को समुदाय के स्तर पर पूर्ण किया जाना है ऐसी गतिविधियों को सामुदायिक गतिविधियों में लिया जाए। पात्रता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना में निकल कर आये हितग्राहियों की जानकारी उचित प्रकार से प्रपत्रों में भरी जाए। बेहतर होगा कि हितग्राहियों के नाम के साथ उनके समग्र आई.डी. कार्ड का नम्बर भी लिखा जाए जिससे उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुगम हो सके। ग्राम सभा में चर्चा के दौरान निकल कर आये हितग्राहियों के नाम भी इसमें लिखे जाएं। तैयार कार्ययोजना को ग्राम में विकास सेमिनार कर सभी ग्रामवासियों से चर्चा कर बताया जाए, ग्रामवासियों से मिले सुझावों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाए।

जिन गतिविधियों को समुदाय के स्तर पर पूर्ण किया जाना है ऐसी गतिविधियों को सामुदायिक गतिविधियों में लिया जाए। पात्रता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना में निकल कर आये हितग्राहियों की जानकारी उचित प्रकार से प्रपत्रों में भरी जाए। बेहतर होगा कि हितग्राहियों के नाम के साथ उनके समग्र आई.डी. कार्ड का नम्बर भी लिखा जाए जिससे उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुगम हो सके। ग्राम सभा में चर्चा के दौरान निकल कर आये हितग्राहियों के नाम भी इसमें लिखे जाएं।

निर्मित कार्ययोजना के निम्न मुख्य अवयव होंगे

- **सामुदायिक कार्य योजना -** इसमें समुदाय के माध्यम से की जाने वाली कम बजट या शून्य बजट गतिविधियां ली जाती हैं। इस तरह की गतिविधियां कार्ययोजना में होना बहुत आवश्यक है।
- **मूलभूत सेवाओं के कार्य -** 14वें वित्त के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के कार्य हेतु किया जाना है।
- **राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के कार्य**
- **विभिन्न विभागों के कार्य**

वर्तमान में उपलब्ध प्लान प्लस पोर्टल आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी जगह की कार्ययोजना पूर्ण हो पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं।

प्लान प्लस पोर्टल के बारे में

इस बार भारत सरकार द्वारा योजना निर्माण में इस पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। यह पोर्टल आप को किसी भी समय और कहीं भी आपकी योजना और उसकी प्रगति को देखने और विश्लेषण करने हेतु सुविधा देता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार भी पंचायतवार संसाधनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचा सकती है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के वित्त की जानकारी इसमें डाल दी गयी है। इसमें गतिविधि निर्माण, संसाधनों का आवंटन और उसका अनुश्रवण सम्बद्ध हैं। इसे आप वेबसाइट www.planningonlive.gov.in पर देख सकते हैं। ● **प्रफुल्ल जोशी**

देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश की
सभी पंचायतों में डिजिटल भुगतान

मध्यप्रदेश ने पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में अनूठा नवाचार किया है। प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ ग्राम पंचायतों द्वारा डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 22812 पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग और कार्यप्रणाली ने 73वें संविधान संशोधन से हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को पंख लगा दिये हैं।

पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया से वर्तमान सरकार के वास्तविक पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के वचन ने आकार लिया है। यह कार्य पंचायत व्यवस्था की न्यूनतम इकाई में विकेन्द्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

15 अक्टूबर से प्रदेश सभी 22812 पंचायतों में सरपंच तथा सचिव के डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल या DSC) के माध्यम से भुगतान प्रारंभ कर दिये गये हैं। पूरे देश में ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश श्रीमती गौरी सिंह, सचिव सह आयुक्त पंचायत राज श्री संदीप यादव द्वारा पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री सुनील जैन, उनके सहयोगी दीपक व्यास तथा दल द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित करके सफलतापूर्वक इस कार्य को सम्पन्न कराया गया।

डिजिटल पेमेंट की इस प्रक्रिया में सरपंच के DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को जनपद के लॉग इन से रजिस्टर किया जाना होगा, जिसे बैंक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। शेष प्रक्रिया पूर्व अनुसार रहेगी। सभी पंचायतें एक भुगतान टेस्टिंग के रूप में करके यह सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें नई व्यवस्था से कोई कठिनाई शेष नहीं है। साथ ही MGSIRS (महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट) जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत दर्पण पोर्टल तथा DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के उपयोग के संबंध में सरपंच तथा सचिव को प्रशिक्षित किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये डिजिटल भुगतान का यह अनोखा, अद्भुत और अनूठा उदाहरण है कि जहाँ छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत अपना भुगतान डिजिटल प्रणाली से कर रही है वहीं बड़े-बड़े विभाग आज भी चेक तथा NEFT पर निर्भर हैं।

इस तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू यह प्रणाली पंचायतों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक ऐसा उल्लेखनीय कदम है जिससे अब किसी तकनीकी समस्या के कारण पूरे राज्य का भुगतान प्रभावित नहीं होगा।

क्या सावधानी रखनी होगी

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा भुगतान की प्रक्रिया में कुछ सावधानी रखना भी आवश्यक है। क्योंकि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है अतः इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। इसे लेकर उप संचालक, आई.टी. पंचायत राज संचालनालय, भोपाल श्री आर.डी. त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में सभी पंचायतें ई-पंचायतें हैं। जहाँ कम्प्यूटर व अन्य

मध्यप्रदेश की सभी 22812 पंचायतों में 15 अक्टूबर से अपने डिजिटल सिग्नेचर द्वारा भुगतान शुरू किया जाना एक अभूतपूर्व कदम है। यह कार्य पंचायती राज व्यवसथा के वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में दिये गये हमारे वचन का एक सार्थक परिणाम है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह वर्ष में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायतों द्वारा अर्थ प्रक्रिया की स्वतंत्र व्यवस्था बापू के सपनों के भारत का साकार स्वरूप है।

इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश की पंचायतें पारदर्शिता के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो गयी हैं। हर ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो और समृद्ध मध्यप्रदेश में अपना योगदान दे सके, यही हमारा लक्ष्य है। इस नवाचार के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले और जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं।

कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास, मध्यप्रदेश

पंचायत दर्पण पोर्टल पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया

- लॉक किये गये ई-भुगतान आदेश को सरपंच एवं सचिव के मोबाइल नंबर पर प्राप्त डिजिटल सिक्योरिटी टोकन (OTP) द्वारा सत्यापित करना।
- डिजिटल सिक्योरिटी टोकन द्वारा सत्यापित ई-भुगतान आदेश का प्रिंट निकालकर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर करना।
- ई-भुगतान आदेश को सरपंच के DSC द्वारा वेरीफाई करें।
- प्रिंट निकले हुए एवं हस्ताक्षरित ई-भुगतान आदेश पेपर को स्कैन कर PDF फाइल बना लेवें।
- ई-भुगतान आदेश पेपर पर अंकित वेरीफिकेशन कोड प्रविष्ट कर PDF फाइल को अपलोड करें।
- ई-भुगतान आदेश को सचिव के DSC द्वारा वेरीफाई करें।
- ई-भुगतान आदेश को भुगतान हेतु बैंक सर्वर पर प्रेषित करें।

आवश्यक उपकरण प्रदाय किये गये हैं। अतः सभी पंचायतों को जो कम्प्यूटर प्रदान किये गये हैं उन्हें अद्यतन स्थिति में रखना हैं। ब्रॉडबैण्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए बीएसएनएल से ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन लेना होगा, ताकि इस व्यवस्था का सुचारु एवं सुरक्षित स्वरूप में संचालन हो सकेगा। अपने कम्प्यूटर को जनपद की मदद से कॉन्फिगर करवा लें। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पंचायतों को डिजिटल भुगतान साइबर कैफे अथवा अन्य किसी कम्प्यूटर से नहीं करना है और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करवाना है।

सरपंच और सचिव स्वयं ही भुगतान करें। अपने डोंगल से पंचायत के कॉन्फिगर कम्प्यूटर से ही करें। आपकी पंचायत के कम्प्यूटर से किया गया भुगतान सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की धोखा-धड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। यदि पंचायतों ने तकनीकी निर्देशों के अनुसार कार्य किया तो किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए सभी पंचायतें इन सभी बातों

देश में सबसे पहले पंचायत दर्पण पोर्टल पंचायत राज व्यवस्था के कार्यों को त्वरित गति प्रदान की है। इसी दिशा में आई जियो एप्रोच, ई-मार्ग जैसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए निर्मित प्रणालियों ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। देश भर में सर्वप्रथम पंचायतों के माध्यम से डिजिटल पेमेन्ट किया जाना प्रदेश का कीर्तिमान है।

की विशेष सावधानी रखें और DSC के माध्यम से भुगतान कर अपने कार्य में अग्रणी रहें।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक बात विशेष है कि यहां सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग ने कई नवाचार किये हैं और विविध आयाम विकसित किये हैं। पूर्व में मध्यप्रदेश में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था।

देश में सबसे पहले पंचायत दर्पण पोर्टल ने पंचायत राज व्यवस्था के कार्यों को त्वरित गति प्रदान की है। इसी दिशा में आई जियो एप्रोच, ई-मार्ग जैसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए निर्मित प्रणालियों ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

देश भर में सर्वप्रथम पंचायतों के माध्यम से डिजिटल पेमेन्ट किया जाना प्रदेश का कीर्तिमान है। इस व्यवस्था के आने से निश्चित ही पारदर्शिता के साथ पंचायतें विकास पथ पर कदम बढ़ायेंगी और सम्पूर्ण विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में अपनी एक इकाई के रूप में स्थापित होंगी। एक गांव, एक इकाई, एक गणराज्य यही तो कल्पना है गांधीजी के ग्राम स्वराज की।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित

रीजनल सरस मेला

त्योहारों की खरीददारी करने के लिये अलग-अलग दुकानों में जाने के बजाय यदि एक ही प्रांगण में सब तरह की वस्तुएं मिल जायें तो खरीददारी का आनंद दोगुना हो जाता है। स्थानीय लोगों को यही सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी स्थित भोपाल हाट में प्रति वर्ष रीजनल सरस मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन की दिशा में एक सार्थक और सफल पहल है। इस बार भोपाल हाट में रीजनल सरस मेला-2019 का आयोजन 09 से 21 अक्टूबर के मध्य दोपहर एक बजे से रात्रि 10 बजे तक किया गया।

- **जैविक खेती को मिले बढ़ावा।**
- **गांव की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य।**

त्योहारों की खरीददारी करने के लिये अलग-अलग दुकानों में जाने के बजाय यदि एक ही प्रांगण में सब तरह की वस्तुएं मिल जायें तो खरीददारी का आनंद दोगुना हो जाता है। स्थानीय लोगों को यही सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी स्थित भोपाल हाट में प्रति वर्ष रीजनल सरस मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन की दिशा में एक सार्थक और सफल पहल है। इस बार भोपाल हाट में रीजनल सरस मेला-2019 का आयोजन 09 से 21 अक्टूबर के मध्य दोपहर एक बजे से रात्रि 10 बजे तक किया गया।

रीजनल सरस मेला के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मेले को जनता ने काफी सराहा है। उन्होंने बताया कि मेले में देश के 10 प्रांतों से 171 स्व-सहायता समूह के करीब 500 उद्यमियों ने हिस्सा लेकर एक करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है। श्री पटेल ने खुद भी मेले का अवलोकन किया और स्व-सहायता समूह के सदस्यों

का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी की मंशा है कि प्रदेश के ऐसे उत्पाद जो छोटे या ग्रामीण स्तर पर तैयार किये जाते हैं और जो अपनी विशेषता के लिये अलग पहचान रखते हैं ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। उनकी मंशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यहां आकर हमें हस्तकला और शिल्पकला का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। मेले में प्रदेश के विभिन्न स्थानों और राज्यों से सम्मिलित हुए स्व-सहायता समूहों के स्टालों में काफी विविधता देखने को मिली, यही विविधता में एकता हमारे समाज और देश की पहचान है।

श्री पटेल ने ऑर्गेनिक खेती का जिक्र करते हुए बताया कि यहां कुछ स्टालों में जैविक खेती से तैयार किये गये उत्पाद देखने को मिले, जैविक खेती से तैयार फसलें और उत्पादों से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद ग्रामीण परिवेश में पला-बढ़ा हूं। हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती में जोर दें क्योंकि आने वाले समय में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग काफी होगी।

आवश्यकता के अनुरूप काम करें बाधाएं अपने आप दूर होंगी

श्री पटेल ने कहा कि काम करने वालों के लिये कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। आप बस काम करते जाइए बाधाएं अपने आप दूरी होती जायेंगी। उन्होंने लिज्जत पापड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पापड़ को बनाने की शुरुआत स्व-सहायता समूह द्वारा काफी समय पहले की गई थी, आज ये एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो गया है। ये पापड़ देश-दुनिया में अपने नाम से बिकने लगी है। इसको बनाने वाले जबलपुर के स्व-सहायता समूह ने काफी तरक्की की है। देश के अलग-अलग राज्यों में इनके उत्पाद जा रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के लोगों को यह समझना होगा कि आज और आने वाले दौर में किस तरह की आवश्यकता लोगों को होगी, यदि आवश्यकता के अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी बाधायें दूर हो जायेंगी। महात्मा गांधीजी को याद करते हुए श्री पटेल ने कहा इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। गांधीजी का सपना था कि हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योग खूब फलें-बढ़ें साथ ही ग्राम स्वराज की स्थापना हो। हम राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसको अकेले नहीं, बल्कि सबके सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। आजीविका दिवस मनाने के जिक्र में श्री पटेल ने बताया कि हमें एक दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन आजीविका मिशन दिवस मनाना चाहिये। ऐसा इसलिये क्योंकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्व-सहायता समूहों और आजीविका मिशन के सदस्यों के द्वारा तैयार उत्पाद खरीदेंगे, उतनी ही इनके और इनके परिवार में खुशहाली आयेगी, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इससे प्रदेश व देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा।

गांधीजी का सपना था कि हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योग खूब फलें-बढ़ें साथ ही ग्राम स्वराज की स्थापना हो। हम राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसको अकेले नहीं, बल्कि सबके सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। आजीविका दिवस मनाने के जिक्र में श्री पटेल ने बताया कि हमें एक दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन आजीविका मिशन दिवस मनाना चाहिये। ऐसा इसलिये क्योंकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्व-सहायता समूहों और आजीविका मिशन के सदस्यों के द्वारा तैयार उत्पाद खरीदेंगे, उतनी ही इनके और इनके परिवार में खुशहाली आयेगी, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इससे प्रदेश व देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा।

मध्यप्रदेश के 36 जिलों के स्व-सहायता समूह हुए शामिल

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह के

मुख्य आतिथ्य में भोपाल हाट बाजार में स्व-सहायता समूहों का दस दिवसीय 'सरस मेला' प्रारंभ किया गया, जहां मेले का शुभारंभ स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा करवाया गया। मेले में दस राज्यों के 171 स्व-सहायता समूहों ने हिस्सा लिया, जिनमें से मध्यप्रदेश के 36 जिलों के स्व-सहायता समूह शामिल रहे।

मेले के शुभारंभ सत्र के दौरान श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मेले में पिछले साल की तुलना में दोगुना ज्यादा सामग्री के विक्रय का लक्ष्य रखा गया है। मेले में विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार परिधान व वस्त्र, विविध प्रकार की कलाएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान, जड़ी-बूटी, बांस शिल्प, विभिन्न कलाकारी, अलग-अलग जगह के व्यंजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के स्टाल लगाये गये थे। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिये विभिन्न स्टाल थे और मेले के दौरान प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

भोपाल हाट परिसर में चल रहे सरस मेले में हिस्सा लेने आए हेमंत भसीन ठीक से सुन नहीं सकते और कुछ हद तक देख भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए खुद को एक आर्टिस्ट के रूप में स्थापित किया है।

मेले में उनके पास हैंडमेड वॉल वॉच, डायरीज और अन्य तरह के गिफ्ट आइटम्स उपलब्ध हैं। इन गिफ्ट्स पर आप अपनी पसंद के संदेश लिखवा सकते हैं। उनके पिता दीपक भसीन ने बताया कि ढाई साल की उम्र में पता चला कि हेमंत हियरिंग इम्पेयर हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। मुंबई में हेमंत एम्ब्रायडरी कंपनी के लिए ड्रॉइंग मास्टर के रूप में काम करता था। हेमंत रूमाल पर एम्ब्रॉयडरी किया करता था। इसके बाद हम भोपाल आ गये और यहां भी यह सिलसिला शुरू हो गया। हमने यहां स्वरोजगार योजना के तहत हेमंत के लिए मशीन ली और अभी हेमंत के पास रोज का 10 घंटे का काम है। हेमंत ने अब अपने लिए एक असिस्टेंट रख लिया है। इन दिनों गिफ्ट आइटम्स के रूप में सारे ऑर्डर्स हैं।

● रश्मि रंजन

14वें वित्त आयोग, परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जारी

पंचायत राज संचालनालय द्वारा वर्ष 2017-18 की 14वें वित्त आयोग, परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जारी कर दी गयी है। इस राशि का उपयोग पंचायतें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिये करेंगी। इस संबंध में 8 मार्च 2019 को अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह द्वारा नवीन निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत बेसिक ग्रांट तथा 10 प्रतिशत परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राशि प्रदान की जाती है जिसमें बेसिक ग्रांट, जनगणना 2011 अनुसार ग्राम पंचायत की जनसंख्या के मान से 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के मान से 10 प्रतिशत होती है। परफॉर्मेंस ग्रांट भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति अनुसार उन ग्राम पंचायतों को दी जाती है जिनका वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पूर्व के वर्ष (आधार वर्ष) का ऑडिटेड वार्षिक लेखा हो।

दूसरा ऑडिटेड लेखा के आधार पर आधार वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में स्वयं की आय कर, फीस, जुर्माना आदि में वृद्धि हो।

इन शर्तों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतें ही परफॉर्मेंस ग्रांट लेने की पात्रता रखती हैं। इन्हीं शर्तों अनुसार जिला तथा जनपद पंचायतों से ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आमंत्रित किये

जाते हैं। प्रदेश से वर्ष 2017-18 की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का प्रस्ताव 28 मार्च 2018 को भारत सरकार को भेजा गया था। 14 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा 2017-18 की 14वां वित्त परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि 296.64 करोड़ जारी की गयी है। यह राशि प्रदेश की 1148 ग्राम पंचायतों को 28 अगस्त 2019 को पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी कर दी गई है। यह राशि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति तथा 7 मार्च 2019 को राजपत्र में प्रकाशन अनुसार प्रदान की गई है।

पंचायतों को यह राशि वर्ष 2017-18 की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि 2015-16 में पंचायतों द्वारा स्वकराधान में की गई वृद्धि तथा ऑडिटेड लेखा के अनुसार दी गयी है।

वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन आमंत्रित

14वें वित्त आयोग परफॉर्मेंस ग्रांट की वर्ष 2016-17 के आधार पर वर्ष 2018-19 के 341.63 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 के आधार पर 2019-20 की 447.34 करोड़ राशि प्रदान करने के लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा, जिला तथा जनपद पंचायतों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह राशि पंचायतों द्वारा स्वकराधान से आय में की गयी वृद्धि तथा ऑडिटेड लेखा के आधार पर दी जायेगी। जिला तथा जनपद पंचायतें जितनी जल्दी यह प्रस्ताव पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश को भेजेंगे उतनी ही जल्दी राशि के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। चूंकि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित है। अत: पात्र पंचायतों के नाम यथाशीघ्र भिजवाये जाने अपेक्षित हैं।

14वें वित्त आयोग परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का व्यय

पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रदान की गयी राशि को पंचायतें महात्मा

गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों पर व्यय कर सकती हैं।

किये जाने वाले कार्य

नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य

- सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण।
- गौ-शाला निर्माण।
- रपटा, पुलिया निर्माण (ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, शासकीय भवनों तथा श्मशानघाट, कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर)
- बाउण्ड्रीवॉल निर्माण - पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशानघाट, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवनों में।
- कांजी हाउस।
- पुस्तकालय भवन।
- बाजार चबूतरे, दुकान निर्माण, ग्राम चौपाल के लिए चबूतरा निर्माण।
- यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।
- पेवर ब्लॉक सड़क।
- सामुदायिक शौचालय, शासकीय भवनों में महिला, पुरुष शौचालय निर्माण।
- एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार)।
- सार्वजनिक पार्कों का निर्माण। पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच फुटपाथ, लाईट तथा पानी की व्यवस्था।
- नि:शक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण- रैंप आदि।

पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य

- ऐसी नल-जल योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित की गयी हैं उनका संधारण।
- ऐसी नल-जल योजनाएं जिन्हें पी.एच.ई. द्वारा स्थापित कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है उनका संधारण।
- पेयजल प्रदाय हेतु पाइपलाइन विस्तार।
- पेयजल हेतु उपयोग होने वाली सिंगल फेस मोटर पी.एच.ई. द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, किंतु अति आवश्यक होने की स्थिति में यदि संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (पी. एच.ई.) सिंगल फेस मोटर उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र देते हैं, तो ग्राम पंचायतें पी.एच.ई. द्वारा निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय कर सकती है।
- पेयजल एकत्रित करने हेतु भू-स्तर टंकी निर्माण, रेडीमेड टंकी क्रय।
- आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापित किये जाने की स्थिति में अंशदान।
- पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण।

संधारण कार्य

- पंचायत भवन मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत, पुताई, बिजली फिटिंग।
- शासकीय एवं पंचायत के भवनों में शौचालय निर्माण, संधारण।
- स्टापडेम तथा चेकडेम मरम्मत, गेट सुधार।
- ग्राम पंचायत की साफ-सफाई का कार्य।
- साफ-सफाई से संबंधित सामग्री क्रय।
- पुराने पेयजल कूपों, बावड़ियों का सुधार।
- पंचायत के स्वामित्व वाले टैंकर की मरम्मत, टायर-ट्यूब बदलना।
- घाटों की पुताई एवं साफ-सफाई।

कार्यालयीन व्यय

- पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं

फर्नीचर मरम्मत।
- टेंट का किराया।
- कार्यालयीन स्टेशनरी।
- नेट सेटर का मासिक भुगतान (अधिकतम रूपये 500/- प्रतिमाह तक)
- रेलटेल, बी.एस.एन.एल. एवं अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रॉडबैण्ड का मासिक भुगतान।
- कम्प्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत, बीमा, वार्षिक रखरखाव।
- भृत्य, चौकीदार, सफाईकर्मी, पंप ऑपरेटर का वेतन, मानदेय।
- बिजली बिल।
- राष्ट्रीय पर्व पर व्यय-व्यवस्था एवं पुरस्कार वितरण।
- ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में चाय नाश्ते आदि पर व्यय।
- पंचायत कार्यालय का किराये का भवन होने की स्थिति में देय किराया।
- समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं खरीदने पर व्यय।
- सेट टॉप बॉक्स का व्यय।
- इनवर्टर एवं बेटरी का व्यय।
- ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले ट्रेक्टर ट्राली, कचरा गाड़ी, जनरेटर के लिये उपयोग होने वाले डीजल का व्यय।
- विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों पर होने वाला व्यय।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये Point of Sale (POS) मशीन क्रय।

गैर अनुमत्य कार्य

- हैण्डपंप खनन एवं उसका संधारण (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)
- नलकूप खनन (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)
- मोटर पंप क्रय
- पेयजल परिवहन पर व्यय।
- मुरमीकरण, ग्रेवलरोड।
- स्टापडेम, चेकडेम निर्माण।

- किसी भी प्रकार के वाहन का क्रय।
- स्वागत द्वार।
- आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण पर व्यय।

14वें वित्त, परफॉर्मेंस ग्रांट अंतर्गत पंचायतों को दी जाने वाली राशि को जिन कार्यों पर खर्च किया जाना है, उन कार्यों को पहले ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होने पर पंचायतें, संचालक पंचायत राज संचालनालय से मांग कर सकती हैं।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की पेडरा पंचायत को मिला

बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार

दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया सम्मानित। प्रदेश की 12 जिलों की 13 पंचायतें हुईं पुरस्कृत।

देश की विभिन्न पंचायतों द्वारा उनके पंचायती क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए हाल ही में देश की 240 चयनित पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 23 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने देश की 2.5 लाख पंचायतों में से 240 को पुरस्कृत किया। खास बात यह है कि इन पुरस्कारों में मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक स्थित पेडरा पंचायत को बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का अवॉर्ड दिया गया। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से मध्यप्रदेश की 12 जिलों की 13 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया।

पंचायतों को आगे बढ़ना होगा

इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए भारत का निर्माण करने के लिए हर पंचायत को आगे बढ़ना होगा। ग्राम पंचायतों और सरपंचों को उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का पूरा उपयोग करना चाहिए। और जल्द से जल्द अपनी पंचायतों के लिए विकास योजनाएं बनानी चाहिए ताकि सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से किया जा सके।

आदर्श और प्रेरणा बनें

तोमर ने कहा कि मतदाताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर हर निर्वाचित हुए प्रतिनिधि को गर्व होना चाहिए और वे देश के किसी भी अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि से कम नहीं हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेता पंचायत प्रतिनिधियों से अन्य पंचायतों के लिए आदर्श और प्रेरणा बनने के लिए कहा ताकि वे भी सीख सकें और बेहतर बनने के प्रयास कर सकें।

उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चुनाव विभिन्न पैमानों और संकेतकों के आधार पर किया गया। यह प्रोत्साहन विशेष प्रयास करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाता है।

अन्य पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए अनुकरण करने योग्य मॉडल तैयार करता है और जनता का ध्यान पंचायतों के प्रदर्शन पर केंद्रित करता है। जो सभी पंचायतों को अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः यह स्थानीय स्तर पर समग्र सुशासन के लिए एक ईको-सिस्टम निर्मित करता है।

ये पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए गए

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार- सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए किए गए अच्छे कार्यों की सराहना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, जिला, मध्यवर्ती और ग्राम को ये पुरस्कार दिया गया।

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना- वर्ष 2018 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए जीपीडीपी को विकसित किया हैं। जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार- इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018-19 के दौरान बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों, ग्राम परिषदों प्रत्येक राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में से एक के लिए किया गया।

ये पुरस्कार निम्नलिखित नौ श्रेणियों में दिए जाते हैं-

- **स्वच्छता**
- नागरिक सेवाएं, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा
- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन**
- हाशिए पर पड़े वर्ग की सेवा (महिलाएं), एससी-एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक
- **सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन**
- **आपदा प्रबंधन**
- ग्राम पंचायतों को सहयोग के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करने वाले सीबीओ व्यक्ति
- **राजस्व सृजन में नवाचार**
- **ई-गवर्नेंस**

ई-पंचायत पुरस्कार- राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को दिया जाता है या फिर अपने कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ई-सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सूचना

और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।

मध्यप्रदेश की उन पंचायतों के उल्लेखनीय कार्य जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया -

जिला - सिंगरौली

पुरस्कार श्रेणी - बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली अवॉर्ड

पंचायत - पेडरा

पंचायत की जनसंख्या - लगभग 3700

क्या कार्य किया - पंचायत के सरपंच केशव सिंह ने बताया कि उनके गांव की यह तस्वीर पिछले तीन वर्षों में बदली है। पहले गांव के लोगों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। लोग किसी भी रूप में शासकीय इलाज आदि का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि घरेलू उपायों के तहत अपना इलाज करते थे। मैंने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर गांव में एक अभियान चलाया जिसके तहत बच्चों को टीका लगवाना, पोषण आहार, प्रसव पूर्व जांच, शासकीय अस्पतालों में प्रसव, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया।

आज यह स्थिति है कि गांव का हर व्यक्ति स्वस्थ है और बेहतर जीवनयापन कर रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए पंचायत में हायर सेकंडरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था है। इसके अलावा गांव से स्कूलों तक पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया, ताकि गांव का हर बच्चा स्कूल पहुंचे और किसी भी रूप में शिक्षा से वंचित न रहे।

जिला - हरदा

पुरस्कार - दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

पंचायत - पालसनेर

पंचायत की जनसंख्या - लगभग 2099

क्या कार्य किया - पंचायत के सचिव मनीष व्यास ने बताया कि पंचायत में समय-समय पर ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव की हर समस्या का निराकरण कराया जाता है। आज भी गांव में ग्राम सभा आयोजित की जाती है।

खास बात यह है कि इस सभा में ही तय किया जाता है कि पूरे वर्ष गांव के हित से जुड़ी प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा गांव की सभी सड़कें आरसीसी रोड में तब्दील कर दी गई हैं। इसके अलावा मध्यान्ह भोजन से गांव की महिला समूहों को जोड़ा गया है।

जिला - हरदा

पुरस्कार - दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

पंचायत - मगरधा

पंचायत की जनसंख्या - लगभग 3943

क्या कार्य किया - गांव के सचिव उमाशंकर गौर ने बताया कि पहले जहां लोगों को पीने का पानी, नाली जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था वहीं, अब पूरी पंचायत में सड़क, नाली, पीने का पानी आदि की व्यवस्था की गई।

इसके अलावा पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतर प्लानिंग की गई है, ताकि गांव में इधर-उधर कचरा न पड़ा रहे। इसके अलावा गांव के ज्यादातर चौराहों पर शौचालय का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, गांव के इस विकास में हर सदस्य से उनकी राय और उनकी जरूरत के बारे में पूछा जाता है।

● **प्रवीण पाण्डेय**

हिंद स्वराज : गांधीजी का विचार सागर

लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए महात्मा गांधीजी ने रास्ते में जो संवाद लिखा इसे 'हिंद स्वराज' के नाम से छपाया। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए सतत लड़ते हुए गांधीजी 1909 में लंदन गए थे। वहाँ कई क्रांतिकारी स्वराज प्रेमी भारतीय नवयुवक इन्हें मिले। उनसे गांधीजी की जो बातचीत हुई उसी का सार गांधीजी ने एक काल्पनिक संवाद में ग्रथित किया है। इस संवाद में गांधीजी के समकालीन महत्व के सारे विचार आ जाते हैं। इस किताब के बारे में गांधीजी ने स्वयं कहा है कि ''मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी यह दी जा सकती है।'' यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म-बलिदान को स्थापित करती है, और पशुबल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। ''गांधीजी इस निर्णय पर पहुँचे थे कि पश्चिम के देशों में, यूरोप-अमेरिका में जो आधुनिक सभ्यता जोर मार रही है, वह कल्याणकारी नहीं है, बल्कि मनुष्य के हित के लिए वह सत्यानाशकारी है। गांधीजी मानते थे कि भारत में और सारी-दुनिया में प्राचीन काल से जो धर्म-परायण नीति-प्रधान चली आई है वह सच्ची सभ्यता है।

हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। भारत के पढ़े-लिखे लोग पश्चिम के मोह में फँस गए हैं। पश्चिम की शिक्षा व विज्ञान अंग्रेजों के अधिकार के जोर पर हमारे देश में आए। उनकी रेलें, उनकी चिकित्सा पद्धति और रुग्णालय, उनके न्यायालय और उनकी न्यायदान-पद्धति आदि सब बातें अच्छी संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं हैं, बल्कि विघातक ही हैं।

मूल किताब गुजराती में लिखी गई थी। उसके हिंदुस्तान आते ही बंबई सरकार ने आक्षेपार्ह बताकर इसे जब्त किया। तब गांधीजी ने सोचा कि 'हिंद स्वराज' में मैंने जो कुछ लिखा है, वह जैसा का वैसा अपने अंग्रेजी जानने वाले मित्रों और टीकाकारों के सामने रखना चाहिए। उन्होंने स्वयं गुजराती 'हिंद स्वराज' का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे छपाया। उसे भी बंबई सरकार ने आक्षेपार्ह घोषित किया।

गांधीजी के सारे जीवन कार्य के मूल में जो श्रद्धा काम करती रही, वह सारी 'हिंद स्वराज' में पाई जाती है। इसलिए गांधीजी के विचार सागर में इस छोटी सी पुस्तक का महत्व असाधारण है। इस अमर किताब का स्थान तो भारतीय जीवन में हमेशा के लिए रहेगा ही। अंग्रेजी सभ्यता का बोलबाला हो जाना इनका सच्चा स्वराज नहीं होगा ऐसा उन्होंने इस पुस्तक में भी रेखांकित किया है। इस पुस्तक के अंशों को पंचायिका के मासिक अंकों में एक सीरीज के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम अंश के रूप में बंगाल के विभाजन के बारे में पाठक व संपादक के काल्पनिक चरित्र जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के माध्यम से हिंद स्वराज के संपादित अंश प्रस्तुत हैं।

बंग-भंग

पाठक : आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज की नींव डाली। लेकिन यह तो आप मानेंगे कि वह सही जागृति नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई?

संपादक : बीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। वह अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है। कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए। जिसे आप सही जागृति मानते हैं वह तो बंग-भंग से हुई, जिसके लिए हम लार्ड कर्जन के आभारी हैं। बंग-भंग के वक्त बंगालियों ने कर्जन साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के मद में लापरवाह रहे। उन्होंने मान लिया कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ बकवास ही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपमानभरी भाषा का प्रयोग किया और जबरदस्ती बंगाल के टुकड़े किए। बंग-भंग से जो धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगा, वैसा और किसी काम से नहीं लगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो दूसरे गैर-इंसाफ हुए, वे बंग-भंग से कुछ कम थे। ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे। लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी। उस वक्त प्रजा की भावना बहुत तेज थी। उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। अपनी सत्ता, अपनी ताकत वे जानते थे। इसलिए तुरंत आग भड़क उठी। अब वह बुझने वाली नहीं है, उसे बुझाने की जरूरत भी नहीं है। ये टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड़ी है, वह तो हमेशा रहेगी ही। वह दिन-ब-दिन चौड़ी होती जाएगी। जागा हुआ हिंद फिर सो जाए, वह नामुमकिन है। बंग-भंग को रद्द करने की माँग स्वराज की माँग के बराबर है। बंगाल के नेता यह बात खूब जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी यह बात जानती है। इसलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रजा तैयार होती जाती है। प्रजा एक दिन में नहीं बनती इसे बनाने में कई बरस लग जाते हैं।

पाठक : बंग-भंग के नतीजे आपने क्या देखे?

संपादक : आज तक हम मानते आए हैं कि बादशाह से अर्ज करना चाहिए और वैसा करने पर भी दाद

न मिले तो दुख सहन करना चाहिए। अलबत्ता, अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारी अर्ज के पीछे कुछ ताकत चाहिए, लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए। यह नया जोश टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जाएगा। यह जोश अखबारों के लेखों में दिखाई दिया। लेख कड़े होने लगे। जो बात लोग डरते हुए या चोरी-चुपके करते थे, वह खुल्लमखुल्ला होने लगी-लिखी जाने लगी। स्वदेशी का आंदोलन चला। अंग्रेजों को देखकर छोटे-बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते। मारपीट से भी नहीं डरते, जेल जाने में भी उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम होता और हिंद के पुत्र-रत्न आज देश निकाला भुगतते हुए (विदेशों में) विराजमान हैं। यह चीज इस अर्ज से अलग है। बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और (दक्षिण में) मद्रास इलाके में कन्या कुमारी तक पहुँच गई है।

पाठक : इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है?

संपादक : बंग-भंग से जैसे अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी है, वैसे ही हममें भी दरार-फूट-पड़ी है। बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यों बड़े ही होते हैं। हमारे नेताओं में दो दल हो गए हैं: एक मॉडरेट और दूसरा एक्ट्रीमिस्ट। उनको हम 'धीमे' और 'उतावले' कह सकते हैं ('नरम दल' व 'गरम दल' शब्द भी चलते हैं।) कोई मॉडरेट को डरपोक पक्ष और एक्ट्रीमिस्ट को हिम्मत वाला पक्ष भी कहते हैं। यह सच है कि ये जो दल हुए हैं, उनके बीच जहर भी पैदा हुआ है। एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता, दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं। सूरत कांग्रेस के समय करीब-करीब मार-पीट भी हो गई। ये जो दो दल हुए हैं वह देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है। ऐसा मुझे तो लगता है। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि ऐसे दल लंबे अरसे तक टिकेंगे नहीं।

● **सुदर्शन सोनी**

आज भी प्रासंगिक हैं गांधीजी के सात सामाजिक पाप

महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विचारधाराओं से हम सभी परिचित हैं। वे देश की निरंतर प्रगति का सपना देखा करते थे। महात्मा गांधी ने लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य किया। सामाजिक न्याय के रास्ते में जो अनैतिकताएं आती हैं, उन्हें गांधीजी ने सात सामाजिक पाप के नाम से समय रहते गिनाया था। वे जो आज भी प्रासंगिक हैं जिनकी आज भी उपयोगिता है।

सिद्धांतों के बिना राजनीति- सिद्धांतों के बिना राजनीति संभव नहीं। जहां सिद्धांत के बिना राजनीति के केंद्र में सत्ता होती है। ऐसा शासन कहीं न कहीं भटकाव की ओर चला जाता है। गांधी जी मानते थे कि बेहतर राजनीति और सुशासन के लिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समावेश करते हुए बीच का रास्ता निकालना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था ही सही मायने में तरक्की की ओर ले जा सकती है।

परिश्रम के बिना संपत्ति- कोई भी उपलब्धि बिना श्रम के नहीं प्राप्त की जा सकती। यहां संपत्ति से आशय श्रम से है। इतना ही नहीं बिना श्रम के पेट भरना भी बहुत कठिन है। गांधीजी ने कहा था कि इसी तरह किसी भी कार्य के श्रम का मूल्य चुकाए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। श्रम मानव को परमात्मा द्वारा दी गई सर्वोपरि संपत्ति है। जहां श्रम की पूजा होगी, वहां कोई भी कमी नहीं रहेगी।

आत्म चेतना के बिना आनंद- गांधीजी का मानना था कि हर मनुष्य मुक्ति की कामना करता है, लेकिन क्या वह वास्तव में मुक्ति चाहता है। किसी भी वस्तु को यदि हमें अपनी जिंदगी में ग्रहण करना पड़े, या आलंबन लेना पड़े तो कोई बात नहीं। प्रयास तो यही करो कि स्वावलंबी जीवन जियो। हमें किसी की भी जरूरत न पड़े। यहां तक कि हमारे मन का चैतन्य इतना जाग जाए, चमत्कारी हो जाए कि हमें शरीर की भी जरूरत न पड़े। हम शरीर के बिना भी जीवन जी सकें।

चरित्र के बिना ज्ञान- स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन और बेहतर शिक्षा दी जाती है। अन्य सभी दान से विद्या दान का अलग महत्व है। ज्ञान के इस युग में चरित्र के बिना ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता है। विज्ञान के महत्व और योगदान को नकारा नहीं जा सकता। विद्या अर्जन से विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता है, बल्कि उसे सामाजिक ज्ञान भी सीखना होगा। इतिहास और भारतीय परंपरा का अटूट रिश्ता रहा है। संस्कृति ही भारतीयों की पहचान है।

नैतिकता के बिना व्यापार- गांधीजी का मानना था कि आधुनिक कारपोरेट जगत में व्यापार और नैतिक मूल्यों की महत्ता बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों के बिना यहां व्यक्ति जीवन में भटक सकता है। पैसे की दौड़ में वह कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिनके कारण चाहे तो समाज में अपने आप को लज्जित महसूस करता है या अंत में भारी आर्थिक नुकसान झेलता है। ऐसे ही जिन कंपनियों द्वारा अपने नैतिक मूल्यों और व्यापार के नैतिक मूल्यों की पालना की जाती है वो ही लंबे समय में कामयाब होती है।

मानवता के बिना विज्ञान- इंसान के अंदर ईर्ष्या व अपने पराए की भावना नहीं होनी चाहिए। इंसान वही है जो अपने-पराए की भावना का परित्याग कर दे। शिक्षा के आधार पर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आध्यात्मिकता के साथ मानवता बहुत जरूरी है। बगैर मानवता के हर गुण शून्य है।

त्याग के बिना पूजा- जिस प्रकार मानवीय समाज का अध्ययन किए बिना नीतिशास्त्र का ज्ञान अपर्याप्त है, उसी तरह नीतिशास्त्र को सामाजिक दर्शन का एक स्वतंत्र भाग नहीं माना जा सकता। गांधीजी मानते थे कि जब कोई भी कार्य आध्यात्मिकता का दावा करे, लेकिन अव्यवहारिक हो जाता है उसे असफल घोषित कर दिया जाना चाहिए।

● **प्रवीण पाण्डेय**

''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ /अ.मु.स./2019/22/पं.-1/1487 **भोपाल, दिनांक 29.08.2019**

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला - समस्त, म.प्र.।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : ''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019 तक जन अभियान कार्यक्रम।

संदर्भ : सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB दिनांक 16 जुलाई, 2019

विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019 तक भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' के तहत प्रदेश की समस्त 22812 ग्राम पंचायतों का सर्वे एवं रैंकिंग की जाकर पंचायती राज संस्थाओं एवं संबंधित लाईन विभागों के समन्वय से वित्तीय वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यवाही संपन्न करने हेतु जिला कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अभियान अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :-

1. अभियान पोर्टल तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) - अभियान की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिये भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पोर्टल www.gpdp.nic.in बनाया गया है, जिस पर अभियान के पहले, अभियान के दौरान तथा बाद में गतिविधियों की जानकारी की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्रों में की जावेगी।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये फेसीलिटेटर - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्रामसभा के लिये फेसीलिटेटर की नियुक्ति निम्नानुसार की जावेगी :-

(i) म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिलों में फेसीलेटर्स की नियुक्ति ग्राम पंचायतों में कार्यरत CRPs में से की जा सकती है, ग्राम पंचायतों में ऐसे CRPs का चयन किया जाये, जिन्होंने वर्ष 2018-19 में मिशन अन्त्योदय के मोबाइल एप पर फेसीलेटर्स के रूप में कार्य किया है, ऐसे CRPs को उपलब्धता के आधार पर चयन किया जाकर फेसीलेटर्स बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत वार CRPs की सूची - संबंधित जिले के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा जिले के कलेक्टर को उपलब्ध कराई जावे एवं नियुक्ति की जावे।

(ii) ऐसे जिले जहां पर एमपी एसआरएलएम के CRPs उपलब्ध नहीं हैं या सक्रिय नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों/स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत CRPs/प्रेरक अथवा ग्राम रोजगार सहायक/अन्य योग्य कर्मचारी का चयन जिला परियोजना प्रबंधक एमपीएसएलएम के साथ समन्वयन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा, तदनुसार फेसीलेटर्स की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी।

(2) फेसीलेटर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

(a) मिशन अंत्योदय के निर्धारित प्रपत्र अनुसार ग्राम पंचायत का मिशन अंत्योदय के अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों के तहत सर्वे/रैंकिंग का कार्य किया जावेगा और ग्रामसभा में सत्यापन एवं अनुमोदन कराया जावेगा।

(b) GPDP निर्माण हेतु विशेष ग्रामसभा को सहयोग किया जावेगा। ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु पुस्तिका में परिशिष्ट-VI अनुसार मॉडल शेड्यूल संलग्न है।

(c) ग्राम सभा में एससी/एसटी एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना। VOs/SHGs को ग्राम सभा में गरीबी कम करने की योजना प्रस्तुत करने में मदद करना। इस योजना को बाद में GPDP में शामिल किया जा सकता है। गरीबी कम करने की योजना का टेम्पलेट परिशिष्ट - IX में संलग्न है।

(d) पोर्टल पर ग्राम सभा आयोजन की रिपोर्ट अपलोड करना। टेम्पलेट परिशिष्ट VIII संलग्न है।

(e) लाईन डिपार्टमेंट्स के मैदानी अधिकारियों के साथ सहयोग करना।

3. Gram Panchayat Development Plan (GPDP) अंतर्गत अधोसंरचना, मानव विकास एवं आर्थिक गतिविधि के आधार पर ग्राम पंचायतों की 100 की स्केल पर रैंकिंग हेतु श्री अजय शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.ए.वाय.-एस.आर.एल.एम. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर, निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये हैं :-

1. मिशन अन्त्योदय के मापदण्ड अनुसार समस्त 22812 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप पर सर्वे/रैंकिंग कार्य अभियान की नियत समयावधि में पूर्ण करने के लिये, सर्वे हेतु फेसीलेटर्स की नियुक्ति, फेसीलेटर्स, टास्कफोर्स, पीआरआई. एसएचजी कन्वर्जेन्स का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत समस्त ग्राम पंचायतों का सर्वे, गरीबी उन्मूलन प्लान का निर्धारण (Poverty Reduction Plan for Year 2020-21), फेसीलेटर्स रिपोर्ट निर्धारण/अपलोडिंग, डाटा एकत्रीकरण तथा मिशन अन्त्योदय/एप में समस्त जानकारियां अपलोड करने की व्यवस्था।

2. PRI-SHG पार्टनरशिप एवं जनसहभागिता से 02 अक्टूबर, 2018 की ग्राम सभा में सर्वे एवं लाईन-विभाग द्वारा किये गये मेपिंग का ग्राम सभा में अनुमोदन का कार्य तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायतों के जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु समन्वयन।

4. ग्राम सभा की बैठकों का केलेण्डर - ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने हेतु दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019 तक दो चरणों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है। ग्राम सभाओं का केलेण्डर इस प्रकार बनाकर जारी किया जावे, कि संविधान के अनुच्छेद 243-G अंतर्गत 11वीं अनुसूची अनुसार पंचायतों को सौंपे गये 29 विषयों से संबंधित लाईन विभागों के विकासखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर के मैदानी अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा में अनिवार्यतः उपस्थित रह सकें। फेसीलेटर्स द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के किये गये सर्वे, रैंकिंग की रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत की जावेगी। सर्वे की कमियों (Gaps) पर ग्रामसभा में उपरोक्तानुसार लाईन विभागों के मैदानी अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की जावेगी। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समस्त विभागों के मैदानी अधिकारियों के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का अंतिम प्रस्तावित प्लान तैयार किया जाकर द्वितीय चरण की ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराया जावेगा तथा अनुमोदित GPDP प्लान भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in/प्लान-प्लस में अपलोड कराया जावे। प्रत्येक ग्राम सभा में उपरोक्तानुसार समस्त विभागों के मैदानी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये दोनों चरणों की ग्राम सभाओं का केलेण्डर 9 सितंबर, 2019 तक भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. लाईन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों की सहभागिता - लाईन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों द्वारा ग्रामसभा में उनके विभाग से संबंधित गतिविधियों की संक्षिप्त प्रस्तुति दी जावेगी।

6. प्रशिक्षण मॉड्यूल्स - एन.आई.आर.डी.पी.आर. हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फेसीलिटेटर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा। संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल, जबलपुर प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी हैं।

7. जन सूचना बोर्ड लगाया जाना - प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रमुख स्थल पर 20x10 वर्ग फुट आकार का जन सूचना बोर्ड स्थापित किया जावे, जिसमें ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण जानकारी, मिशन अंत्योदय, सर्वे में प्राप्त महत्वपूर्ण कमियाँ (Gaps) तथा विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दर्शित हो।

8. सर्वे में पायी गई कमियों (Gaps) का ग्रामसभा की बैठकों में विश्लेषण - सर्वे में पायी गई कमियों (Gaps) का ग्राम सभा की बैठकों में विश्लेषण किया जायेगा। इन कमियों के संबंध में लाईन डिपार्टमेंट्स द्वारा उनकी योजनाओं के तहत कार्यवाही की जावेगी। ग्राम सभा द्वारा कमियों को तीन श्रेणियों - अतिमहत्वपूर्ण (Critically Important), उच्च प्राथमिकता (High Priority) एवं आवश्यक (Desirable) में वर्गीकरण करना। इन कमियों के आधार पर ग्राम पंचायत GPDP प्लान को अंतिम रूप दिया जावेगा।

9. आधारभूत सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ - वर्ष 2019-20 की GPDP निर्माण के समय 14वें वित्त आयोग से मूलभूत सेवाओं से संबंधित गतिविधियों हेतु राशि की उपलब्धता ग्रामसभा सुनिश्चित करेगी।

10. अनुमोदित योजना का प्रकाशन - ग्राम सभा द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित अंतिम GPDP योजना का प्रकाशन 31 दिसंबर, 2019 तक प्लान प्लस एप्लीकेशन में पीडीएफ फॉर्मेट में किया जावेगा।

11. नेशनल लेवल मॉनीटर्स - रेंडम चयन के आधार पर NLMs द्वारा ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया जावेगा। NLM द्वारा अभियान के प्रभाव तथा मैदानी अधिकारियों/सुपरवाईजर की ग्राम सभा में उपस्थिति का सत्यापन किया जावेगा।

12. अभियान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in पर उपलब्ध हैं।

13. दिशा-निर्देशानुसार अभियान अंतर्गत कृत कार्यवाही की जानकारी समय-समय पर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. को dirpanchayat@mp.gov.in पर उपलब्ध करावें।

नोट - पांचवी अनुसूची के क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन PESA के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ /अ.मु.स./2019/22/पं.-1/488 **भोपाल, दिनांक 29.08.2019**

प्रतिलिपि :-

1. श्री राहुल भटनागर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक M-11015/159/2019-CB 16 जुलाई, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार 11वां फ्लोर जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. संभागायुक्त - समस्त की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त मनरेगा परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक वाल्मी, संजय गांधी पंचमढ़ी, ईटीसी पीटीसी समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संयुक्त आयुक्त, स्थापना (कार्यालय प्रमुख) विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्री विवेक दवे, संयुक्त आयुक्त, दीनदयाल अंत्योदय योजना विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. डीपीएम (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संयुक्त संचालक, आरजीपीएसए/प्रशिक्षण/स्थापना/वित्त/समन्वय पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416, भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019-आश्विन 17, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2019

क्र. एफ-2-9-13-बाईस-पी-1.--मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 69 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2018 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

उक्त नियमों में, -

1. नियम 6 में, उप-नियम (5) में, शब्द ''साठ वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''बासठ वर्ष'' स्थापित किया जाए।
2. अनुसूची एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम 4 देखिए)
ग्राम पंचायत सचिव का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक	पद का नाम जिस पर नियुक्ति की जानी है	मानदेय/वेतनमान तथा यात्रा भत्ता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम पंचायत सचिव	(क) नव नियुक्त पंचायत सचिव को दो वर्ष तक रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् नियमित वेतनमान रुपये 5200-20200+1900 ग्रेड वेतन का हकदार होगा। (ख) पंचायत सचिव जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है वह 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन के वेतनमान का हकदार होगा। (ग) पंचायत सचिव को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जाएगा, जो जुलाई में देय होंगी। (घ) वह रुपये 250/- प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा भत्ता का हकदार होगा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस.आर. चौधरी, उपसचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417, भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019-आश्विन 17, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019

क्र. एफ-2-9-13-बाईस-पी-1.--मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 7 में, उप-नियम (4) में, शब्द ''आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय'' के स्थान पर, शब्द ''संभागीय आयुक्त'' स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस.आर. चौधरी, उपसचिव

ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा ई-भुगतान करने के निर्देश जारी

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./IT/**2019/13031** **भोपाल, दिनांक 09.10.2019**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत- समस्त, म.प्र.

विषय : पंचायत दर्पण (http://prd.mp.gov.in) पोर्टल पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा ई-भुगतान संपादन।

संदर्भ : संचालनालय का पत्र क्र. 11374 दिनांक 31.08.2019

संदर्भित पत्र द्वारा ''पंचायत दर्पण'' पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान व्यवस्था में डिजिटल सिक्योरिटी टोकन (OTP) के साथ-साथ संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के व्यक्तिगत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा सत्यापित EPO सीधे संबंधित बैंक सर्वर पर भुगतान हेतु प्रेषित किये जाने हेतु जनपद स्तर से DSC पंजीकरण करने के निर्देश दिये गये हैं।

DSC द्वारा सत्यापित Digitally Signed Payment EPO की उपरोक्त व्यवस्था आज दिनांक 09.10.2019 से प्रारंभ कर दी गई है। कृपया समस्त ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के DSC शत-प्रतिशत पंजीकृत कर निम्न प्रक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. लॉक किये गये ई-भुगतान आदेश को सरपंच एवं सचिव के मोबाइल नंबर पर प्राप्त डिजिटल सिक्योरिटी टोकन (OTP) द्वारा सत्यापित करना।
2. डिजिटल सिक्योरिटी टोकन द्वारा सत्यापित ई-भुगतान आदेश का प्रिंट निकालकर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर करना।
3. ई-भुगतान आदेश को सरपंच के DSC द्वारा वेरीफाई करें।
4. प्रिंट निकाले हुये एवं हस्ताक्षरित ई-भुगतान आदेश पेपर को स्कैन कर PDF फाइल बना लेवें।
5. ई-भुगतान आदेश पेपर पर अंकित वेरीफिकेशन कोड प्रविष्ट कर PDF फाइल को अपलोड करें।
6. ई-भुगतान आदेश को सचिव के DSC द्वारा वेरीफाई करें।
7. ई-भुगतान आदेश को भुगतान हेतु बैंक सर्वर पर प्रेषित करें।

(संदीप यादव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा'' आयोजन के निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्रमांक/ /पंचा.-/2019/22/पं.-1/पं. स/15684 **भोपाल, दिनांक 11.11.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : 19 नवंबर 2019 को ''प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा'' के आयोजन के संबंध में।

सरकार के वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 32.6 के तारतम्य में ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-19/22/पं.-1/222 दिनांक 07.01.2019 द्वारा 08 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को ''सबला महिला सभा'' तथा 19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा'' का आयोजन किये जाने का निर्णय किया गया है।

2. राज्य शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के तहत प्रत्येक ग्राम में 19 नवंबर 2019 को प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। ग्राम सभा में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की जावेगी तथा ग्राम में महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित ग्राम विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी। इस योजना पर ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता से कार्यवाही की जाना अपेक्षित होगा।

3. ग्राम सभा की अध्यक्षता महिला सरपंच या महिला उपसरपंच अथवा उपस्थित सदस्यों की सहमति से ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वार्ड की महिला पंच या वरिष्ठ महिला सदस्यों द्वारा की जायेगी।

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 6(1) के उपबंध अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा के समुचित आयोजन हेतु एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। ग्राम सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित गांव के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाये तथा ग्राम सभा आयोजन की संबंधित गांव में डोंडी (मुनादी) कराई जाये। ग्राम सभा के सम्मिलन का कार्यवाही विवरण अनिवार्यत: तैयार किया जावेगा।

5. ग्राम सभाओं में संलग्न एजेण्डा अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(संदीप यादव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ /पंचा.-/2019/22/पं.-1/पं.स/15685 **भोपाल, दिनांक 11.11.2019**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

4. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, मनरेगा परिषद भोपाल मध्यप्रदेश।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय भोपाल म.प्र.।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।
2. जन संपर्क अधिकारी, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

एजेण्डा

(i) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विषय -

(1) मनरेगा अंतर्गत रोजगार नियोजन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी पर चर्चा।
(2) मनरेगा अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही चयन में महिला मुखिया को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा।
(3) मनरेगा कार्यों में महिला स्व-सहायता समूह को क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने पर चर्चा।
(4) शौचालय का उपयोग बढ़ाने में महिलाओं का योगदान एवं उपलब्धि पर चर्चा।
(5) ग्राम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में चर्चा।
(6) स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जिन्होंने सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित कर स्वयं को आदर्श के रूप में स्थापित किया है, उन्हें सम्मानित कर ग्राम सभा में प्रेरक उद्बोधन देने का अवसर दिया जावे।
(7) महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूह निर्माण पर चर्चा। संचालित स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों पर चर्चा। जो परिवार अभी तक स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित नहीं हुए हैं उन्हें स्व-सहायता समूह के रूप में गठित करना।
(8) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु महिला राज मिस्त्रियों का चयन।
(9) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा।
(10) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में महिला पंच एवं विद्यार्थियों की माताओं की भूमिका पर चर्चा।
(11) बालिकाओं/स्त्रियों के आउटडोर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा।

(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विषय -

(1) बालिकाओं को जन्म लेने, शिक्षा पाने, सुरक्षित रहने और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार मिले यह मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बेटी केंद्रित कई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, सशक्त वाहिनी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के संबंध में चर्चा।
(2) प्रत्येक नवविवाहित महिला/दंपत्ति को PC PNDT Act के बारे में बतायें, गर्भवती के शीघ्र पंजीयन को बढ़ावा, गर्भावस्था के 9 माह में 4 चेकअप अनिवार्य करवाना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के संबंध में चर्चा।
(3) बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने के संबंध में चर्चा।
(4) प्रत्येक मंगल दिवस पर आंगनवाड़ियों में महिलाओं/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा।
(5) गुड्डा-गुड्डी बोर्ड पर चर्चा।

(6) एक बालिका/दो बालिकाओं पर परिवार नियोजन कराने वाले परिवार का सम्मान करना।
(7) आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में सभी बालिकाओं का प्रवेश और नियमित शिक्षा, स्कूलों में कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा।
(8) बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
(9) बालिकाओं/महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी विचार-विमर्श कर संकल्प पारित करना।
(10) बेटियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विशिष्ट कार्य करने वालों के सम्मान पर चर्चा।
(11) विशेष कार्य करने वाली प्रतिभाशाली बेटियों के सम्मान पर चर्चा।
(12) विधवा विवाह करने/कराने वालों पर चर्चा।
(13) किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका दिवस का लाभ सभी को दिलवाये जाने पर चर्चा।
(14) महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
(15) पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी देना।
(16) बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन पर विचार व संकल्प।
(17) सभी महिला प्रमुख परिवारों को पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं से लाभांवित होने की समीक्षा।

(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विषय -

(1) शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (5-10 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत (10-19 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
(2) 6 से 60 माह के बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को उम्र अनुसार आई.एफ.ए. गोलियों का साप्ताहिक सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
(3) महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के उपायों पर चर्चा।
(4) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण आहार, समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक टीकाकरण के संबंध में चर्चा।
(5) किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा उनके स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा।
(6) गर्भधारण से लेकर प्रसव उपरांत 1000 दिवस तक मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के संबंध में चर्चा।

(iv) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग से संबंधित विषय -

(1) कल्याणी पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, अविवाहित महिला पेंशन, विधवा पेंशन तथा कन्या अभिभावक पेंशन एवं बहुविकलांग पेंशन सहित महिलाओं एवं असहाय व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी उपस्थित महिलाओं को देना।
(2) विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में छूटी हुई पात्र महिला लाभार्थियों के आवेदन पत्र भरवाना।
(3) वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के नाम की सूची का वाचन करना तथा अपात्रों का नाम हटाने संबंधी कार्यवाही।
(4) मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाना।
(5) महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।
(6) ग्राम को नशामुक्त करने के संबंध में महिलाओं के योगदान पर चर्चा।
(7) मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना की सहायता राशि 28,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,000/- रुपये होने की जानकारी एवं चर्चा।
(8) सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 600/- रुपये प्रतिमाह होने के संबंध में चर्चा।

(v) प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभाओं के आयोजन/कार्यक्रम में की जाने वाली विशेष कार्यवाही/गतिविधियाँ -

(अ) कक्षा 10 एवं 10+2 की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त बालिकाओं का सम्मान एवं पुरस्कृत करना।
(ब) समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान।
(स) पंचायत सखी का चयन। (संलग्न निर्देशानुसार)
(द) युवा शक्ति समिति का चयन। (संलग्न निर्देशानुसार)

ग्राम पंचायत स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समिति गठित किये जाने के आदेश जारी

ग्राम युवा शक्ति समिति
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पंचा.राज./यु.ग्रा.श./2019/14816 **भोपाल, दिनांक 5.11.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन।

ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिये ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु, युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है :-

1. समिति का कार्यकाल एवं गठन :-

समिति में कुल 11 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा। समिति के सदस्यों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया जाकर, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पंचायतवार जारी किये जावेंगे।

2. सदस्य हेतु पात्रता :-

I. आयु 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 35 वर्ष से कम हो।
II. **शैक्षणिक योग्यता :** कम से कम 06 सदस्य स्नातक उत्तीर्ण हों, शेष 05 सदस्य हायर सेकेण्ड्री अथवा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हों।
III. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां शैक्षणिक स्तर कम है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण निर्धारित की जाती है।
IV. ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
V. त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
VI. समिति में न्यूनतम 03 सदस्य महिला होंगी तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा।
VII. समिति के सदस्यों का चयन जनपद पंचायत द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से किया जावेगा।
VIII. ग्राम पंचायत के सचिव समिति के समन्वयक होंगे।

3. समिति के गठन के उद्देश्य/कार्य क्षेत्र :-

I. ग्राम के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांग जन, निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन। उदाहरणस्वरूप - ग्राम के पंजीबद्ध श्रमिक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता दिलवाना, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर समय पर प्रकरण की औपचारिकता पूर्ण करने में मदद करके सामान्य मृत्यु में दो लाख रुपये तथा दुर्घटना मृत्यु में चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने में परिवार का सहयोग करना।

II. ग्राम के युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास करना, ग्रामीण युवाओं को खेलकूद, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता को बढ़ाना।
III. ग्रामवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों की रोकथाम हेतु कार्य करना जैसे - नशा मुक्ति, बाल विवाह, जुआ सट्टा आदि।
IV. ग्रामीण पर्यावरण एवं स्वच्छता के लिये ग्रामवासियों को श्रमदान हेतु प्रेरित करना।
V. ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि एवं विकास के लिये विभिन्न करों एवं शुल्क जैसे - सफाई, जलकर, प्रकाशकर, भवन अनुज्ञा शुल्क, सम्पत्तिकर को जमा करने के लिये प्रेरित करना।
VI. ग्रामवासियों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्धता शत-प्रतिशत टीकाकरण, कचरे का प्रबंधन, खुले में शौच की रोकथाम।
VII. कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत एवं आधुनिक तकनीक को ग्राम में बढ़ावा देना।
VIII. इंटरनेट, मोबाइल एप्प से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामवासियों को जागरूक करना जैसे- बैंक खाते से राशि का अंतरण, विद्युत बिल, फीस, टी.व्ही. रिचार्ज आदि का भुगतान, वोटर आई कार्ड बनवाना अथवा संशोधन कराने जैसी गतिविधियों को जागरूक करना।
IX. सोशल मीडिया, वाचनालय, संचार साधन गोष्ठी एवं टी.व्ही. पर प्रेरणादायक फिल्मों के माध्यम से ग्रामवासियों के बीच उत्कृष्ट घटनाओं को प्रदर्शित करना।
X. ग्रामवासियों के बीच शांति सद्भाव बनाये रखने के लिये प्रेरणा देना, जागरूक करना।
XI. SECC सर्वे 2011 के आधार पर एवं अन्य शासकीय योजनाओं में लाभांवित होने वाले हितग्राहियों में अपात्र हितग्राही को चिन्हित करना एवं जनपद पंचायत तथा संबंधित विभाग को सूचना देना।

प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्यों की जानकारी सभी संबंधित विभागों के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

युवा ग्राम शक्ति समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार आयोजित की जावेगी, प्रत्येक बैठक आयोजन व्यय हेतु रुपये 300/- की राशि प्रदान की जावेगी।

प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस 20 अगस्त को विकासखण्ड स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समितियों के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। यह सम्मेलन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आहूत करेंगे।

समिति के गठन हेतु निर्धारित समय सारणी

क्र.	**कार्य**	**समय-सीमा**
1.	समिति के सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करना	05 दिसंबर, 2019
2.	जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार समिति का प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना एवं गठन आदेश जारी करना।	20 दिसंबर, 2019

(संदीप यादव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायत सखी के चयन हेतु निर्देश जारी

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन

क्र./4971/एस.आर.एल.एम./आई.टी./2019 **भोपाल, दिनांक 26/10/2019**

प्रति,

जिला परियोजना प्रबंधक,

जिला अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिंडौरी, होशंगाबाद, झाबुआ, मंडला, निवाड़ी, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सीहोर, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा।

विषय : पंचायत सखी के चिन्हांकन, प्रशिक्षण एवं कार्यों के संबंध में।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत उपरोक्त जिलों में पंचायत स्तर पर स्व-सहायता समूह एवं पंचायत के मध्य समन्वय हेतु सी.एफ.टी. क्षेत्र में प्रति पंचायत एक पंचायत सखी का चयन किया जाना है। पंचायत सखी के कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-

1. पंचायत सखी पंचायत भवन में बैठते हुए स्व-सहायता समूह एवं पंचायत के मध्य समन्वय का कार्य करेंगी।
2. मनरेगा एवं पंचायत के कार्यों हेतु स्व-सहायता समूह एवं पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए सहयोग करेंगी।
3. पंचायत सखी ऑनलाइन आवेदन भरना, बिल भरना इत्यादि कार्य कम्प्यूटर की मदद से करेंगी।
4. प्रशिक्षित एवं उपयुक्त पंचायत सखी बैंक संबंधी कार्य (Business Correspondent की तरह) करेंगी।

पंचायत सखी के चयन हेतु निम्नानुसार अनिवार्य योग्यता है :-

1. कम से कम 12वीं पास हों।
2. कम्प्यूटर/पी.ओ.एस. मशीन पर कार्य कर सकें।
3. प्रशिक्षण देने में सक्षम हों।
4. समूह की सदस्य/समूह सदस्य के परिवार की महिला

उपरोक्तानुसार पंचायत सखी का चयन दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर राज्य कार्यालय को निम्न प्रारूप में इस कार्य हेतु बनाये गये नोडल के माध्यम से उपलब्ध करावें।

स.क्र.	विकासखंड	पंचायत का नाम	नाम	पिता/पति का नाम	समूह का नाम	मोबाइल नम्बर	शैक्षणिक योग्यता (12वीं/12वीं से अधिक)	कम्प्यूटर योग्यता (हां/ना)

उक्त जानकारी राज्य कार्यालय भेजने एवं समन्वय हेतु नोडल अधिकारी निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	जिला	नोडल नाम
1.	अलीराजपुर	श्रीमती गरिमा सांई सुंदरम
2.	बड़वानी	श्रीमती गरिमा सांई सुंदरम
3.	अनूपपुर	श्री धीरेन्द्र सिंह
4.	बालाघाट	श्री धीरेन्द्र सिंह
5.	बैतूल	श्रीमती सुषमा मिश्रा
6.	छतरपुर	श्री अक्षत पवार

7.	छिंदवाड़ा	श्री अक्षत पवार
8.	दमोह	श्री अमित खरे
9.	धार	श्री अमित खरे
10.	डिंडौरी	श्री मुकेश यादव
11.	होशंगाबाद	श्री मुकेश यादव
12.	झाबुआ	श्री सुदेश साहनी
13.	मंडला	श्री सुदेश साहनी
14.	निवाड़ी	श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया
15.	पन्ना	श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया
16.	रतलाम	श्री ए.के. मिश्रा
17.	सागर	श्री ए.के. मिश्रा
18.	सतना	श्री मनीष पवार
19.	सिवनी	श्री मनीष पवार
20.	शहडोल	श्री धनंजय बारलिंगे
21.	शिवपुरी	श्री धनंजय बारलिंगे
22.	सीधी	श्री अश्विनी उपाध्याय
23.	सीहोर	श्री अश्विनी उपाध्याय
24.	सिंगरौली	श्री महेश बावनकर
25.	टीकमगढ़	श्री महेश बावनकर
26.	उज्जैन	श्री दिनेश दुबे
27.	उमरिया	श्री दिनेश दुबे
28.	विदिशा	श्री शैलेन्द्र सिंह

अतः उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही कर राज्य कार्यालय को अवगत करावें।

(संजीव कुमार सिन्हा)
अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्र./4972/एस.आर.एल.एम./आई.टी./2019 **भोपाल, दिनांक 26.10.2019**

प्रतिलिपि :-

- वित्त नियंत्रक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।
- उपायुक्त (मानव संसाधन), मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।
- उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।
- राज्य परियोजना प्रबंधक/सहा. राज्य परियोजना प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल की ओर जिलों से समन्वय करने हेतु।
- सी.एफ.टी. ..... जिला ..... की ओर सूचनार्थ।

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र खोले जाने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

समय-सीमा/
महत्वपूर्ण

क्रमांक 378/P&RD/MPSTEPS/CSC2.0-25/19 **भोपाल, दिनांक 13.11.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : डिजिटल इण्डिया अंतर्गत प्रदेश में, ग्राम पंचायत स्तर पर, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) का उद्घाटन आगामी दिनांक 19.11.2019 के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ : 1. सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक N-11019/26/2019-Governance, dated 3rd September, 2019

2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांक 343/P&RD/MPSTEPS/2019 Bhopal, Dated 30.10.2019.

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम अंतर्गत भारतीय संविधान के 73वें-74वें संशोधन की अनुसूची 10 के अनुपालन में त्रि-स्तरीय पंचायतों के माध्यम से आम आदमी को सेवाएं उपलब्ध कराया जाना हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि समस्त शासकीय कार्यालयों की सेवाएं एवं वांछित जानकारी Common Service Center के माध्यम से (वांछित जानकारी) उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराना हैं, जिससे पारदर्शिता, सक्षमता तथा विश्वसनीयता होगी।

2. भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2019 अनुसार भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं CSC e-Governance India Limited के मध्य हुए MoU के आधार पर प्रदेश में ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC 2.0) संचालित करने हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 30.10.2019 द्वारा प्रदेश में 2500 से अधिक जनसंख्या एवं ''पंचायत सखी'' की उपलब्धता अनुसार पायलट प्रोजेक्ट स्वरूप प्रथम चरण में 5000 ग्राम पंचायतों में ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) संचालित किये जाने हेतु CSC e-Governance India Limited को कार्यादेश जारी किया गया है।

3. ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) को केंद्र संचालित करने के लिये MoPR के निर्देशानुसार अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये ''पंचायत सखी'' को Village Level Entrepreneur (VLE) के रूप में कार्य करने हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जिला/जनपद/ग्राम पंचायत एवं पंचायत सखी जिसे अब VLE के नाम से जाना जावेगा, की प्रथम चरण की 5000 ग्राम पंचायत हैं। इन Village Level Entrepreneur (VLEs) को CSC, e-Governance India Limited द्वारा कार्य करने हेतु रखा जावेगा व उन्हें समय-समय पर जिला/जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जावेगा। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त VLEs विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे, अपितु विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु CSC, e-Governance India Limited द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के रूप में होंगे, जिनको मानदेय/पारिश्रमिक CSC, e-Governance India Limited द्वारा ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिया जावेगा।

4. ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) आपके जिला/जनपद की ग्राम पंचायत में उपलब्ध ई-पंचायत कक्ष/पंचायत भवन में संचालित किया जावे, जिसके लिये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत कनेक्शन, जल, टेबल-कुर्सी, बैनर आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जावे।

5. जहाँ पर ई-पंचायत भवन नहीं है ऐसी स्थिति में सुविधा अनुसार अन्य शासकीय भवन में विचार किया जा सकता है।
6. जैसा कि सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को पूर्व से ही कम्प्यूटरीकृत किया जाकर ई-पंचायत में परिवर्तित किया जा चुका है, जिसमें कम्प्यूटर हार्डवेयर, Printer, Scanner, UPS, LED TV आदि स्थापित किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायतों को प्रदाय सामग्री, वर्तमान में जिस स्थिति में है, का उपयोग ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) हेतु किया जावेगा। सामग्री की मरम्मत आदि का कार्य CSC, e-Governance India Limited के द्वारा ही किया जावेगा, इस हेतु ग्राम पंचायत किसी प्रकार का कोई भुगतान/व्यय न करे। सामग्री की सुरक्षा, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 891/पं.ग्रा.वि.वि./MPSTEPS/HW/14-II/13 दिनांक 13.01.2014 में उल्लेखित निर्देशानुसार की जावे।
7. ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) केन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आमजनों को G2G, G2B, B2C, G2C सेवाएं उपलब्ध कराई जावेंगी।
8. ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' (CSC2.0) के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत Madhya Pradesh State Tech. e-Panchayat Society (MPSTEPS) नोडल संस्था के रूप में चिन्हित हैं, जिसके अंतर्गत श्री एस.के. नेमा, (9993689993) प्रभारी संयुक्त संचालक एवं उप महाप्रबंधक, MPSTEPS नोडल अधिकारी हैं।
   जिला स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित कर, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई-डी की जानकारी mpsteps@mp.gov.in पर भेजी जावे।
   इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही नोडल अधिकारी नामांकित किये जाते हैं।
9. न्यूनतम एक ''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' सेवा केन्द्र का शुभारंभ दिनांक 19.11.2019 को संबंधित जिले के माननीय मंत्री से पूर्ण गरिमा एवं आयोजन के साथ इसे संपन्न कराया जावे।
10. प्रदेश में Common Servvice Center (CSC2.0) केंद्र का नाम **''महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र''** निश्चित किया गया है।
11. महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी/पूछताछ हेतु CSC, e-governance India Ltd. के राज्य स्तरीय अधिकारी एवं उनके मोबाइल नंबर हैं 1. श्री कमलेश बनजारिया, स्टेट हेड (सीएससी), मोबा. 9300168468, 2. श्रीमती शिल्पा गोंगांवकर, स्टेट प्रोजेक्ट हेड, मोबा. 8879593123, 3. श्री संतोष पटेल, प्रोजेक्ट इंचार्ज, मोबा. 6265516300, 4. श्री प्रदीप मिश्रा, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंचार्ज, मोबा. 6265235283। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी https://mp.gov2egov.com पर देखी जा सकती है।
    उक्तानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही मैदानी स्तर पर यथा संभव निर्देश दिये जाकर समय-सीमा के पूर्व, पूर्ण करवाना सुनिश्चित करवायें। साथ ही इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय के ई-मेल आय डी mpsteps@mp.gov.in पर भी अवगत करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(संदीप यादव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग